

(Seniority, Promotion and Superannuation of Officers) Amendment Rules, 1998.

(ii) GSR 274(E), dated May 27, 1998 publishing the Border Security Force Chief Law Officer and Law Officers (Amendment) Rules, 1998.

(iii) GSR 275(E), dated May 27, 1998 publishing the Border Security Force (Medical Officers Cadre) Amendment Rules, 1998. [Placed in Library. for (i) to (iii) see No. LT 1039/98]

II. A copy (in English and Hindi) of the Twenty-eights Annual Assessment Report on the programme and its implementation for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for the various official purposes of the Union, for the year 1996-97. [Placed in Library, See No. LT 1043/98]

**I. Report and Accounts (1996-97) of the Wool and Wollens Export Promotion Council, New Delhi and related papers.**

**II. Report and Accounts (1996-97) of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi and related papers.**

**THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA:** Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

I (a) Thirty-second Annual Report and Accounts of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 1996-97, together with the Auditors Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library, See No. LT 967/98]

II. (a) Annual Report and Accounts of the Apparel Export Promotion Council, New Delhi, for the year 1996-97, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Council.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library, See No. LT 1108/98]

### MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON OFFICIAL LANGUAGE

**गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी):** सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि: "राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसूचन में, यह सभा श्री विष्णु कान्त शास्त्री, श्री त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी और श्री राम देव भंडारी के राज्य सभा की सदस्यता से निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों को भरने के लिए सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों को राजभाषा समिति का सदस्य होने के लिए समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करने की कार्यवाही करें।"

The question was put and the motion was adopted.

### DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT—(CONTD.)

**MR. CHAIRMAN:** Dr. M.M. Joshi.

**मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी):** सभापति जी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संबंध में इस सदन ने कल बहुत महत्वपूर्ण चर्चा समाप्त की है। मैं आभारी हूँ उन सभी विद्वान, प्रबुद्ध सदस्यों का जिन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया, बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिए और बहुत से प्रश्न चर्चा के बीच में मंत्रालय के विचारार्थ भी प्रस्तुत किए हैं। एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा था कि यह विभाग, यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है परंतु इसकी उपेक्षा भी बहुत हुई है। मैं इससे सहमत हूँ। जितना महत्व, जितना ध्यान इस मंत्रालय की तरफ दिया जाना चाहिए था, वह आज तक, अभी तक नहीं दिया जा सका है। जो संसाधन इस मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाने चाहिए थे, वे संसाधन इस मंत्रालय को उपलब्ध नहीं कराए गए। मैं इस बारे में सदन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस बारे में कोई राष्ट्रीय आम सहमति बना सकते हैं या नहीं कि शिक्षा को, मानव संसाधन विकास को हम अपने नियोजन में और अपने आर्थिक कार्यक्रमों में कितना

महत्व देते हैं? कहां तक महत्व दें? संविधान ने एक दायित्व सरकार के ऊपर सौंपा है और वह दायित्व है संविधान के आर्टिकल के अंदर, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर जिसके अनुसार एक शिक्षित आयु की सीमा के बच्चों को निराल्फ और अनिवार्य शिक्षा देना, यह सरकार के लिए एक निर्देश है, एक आदेश है। इस आदेश को पूरा करने के लिए संविधान में पहले दस वर्ष की अवधि पर्याप्त समझी गई लेकिन आज तो पचास वर्ष हो गए हैं, हम इस काम को अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं। क्या हम इस काम को पूरा करना चाहते हैं? क्या यह हमारी वर्यता होगी? हमारी प्राथमिकता होगी? और अगर यह होगी और इसमें आम सहमति है तो कम से कम इसके बजट में और इसकी व्यवस्थाओं में तो किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और तभी मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्लानिंग कमिशन को और वित्त मंत्रालय को सदा इस बारे में सचेत करते रहें कि जितने संसाधनों की आवश्यकता है, वह इस मामले में हमेशा हमें मिलते रहे। एक टास्क फोर्स में आकलन किया है कि अगर हम अपने समूचे देश की इस जनसंख्या को जो 14 वर्ष के नीचे की है, पूरे रूप में शिक्षित करना चाहेंगे, साक्षर बनाना चाहेंगे तो एक लाख पच्चीस हजार रुपये की नवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यकता होगी। इसका अर्थ है कि लगभग 25 हजार करोड़ रुपया प्रति वर्ष हमें इस मामले में खर्च करना होगा अकेले इसी योजना के लिए। अगर राष्ट्र की यह वर्यता है, प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है कि हमें एक शिक्षित राष्ट्र के रूप में, संपूर्ण शिक्षित राष्ट्र के रूप में खड़ा होना है तो फिर राष्ट्र को यह भी तय करना होगा कि हमें यह साधन जुटाने होंगे। यह साधन सरकार और समाज मिलकर जुटाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह साधन केवल केन्द्रीय सरकार के बजट से ही मिलेंगे लेकिन तब शिक्षा की योजना इस तरह की होनी चाहिए कि यह साधन इस तरह से जुटाए जा सकें और समाज का बड़ा भारी सहयोग हम इस मामले में प्राप्त कर सकें। इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा और फिर जो तमाम कानून है इनकम टैक्स के कानून हैं, कम्पनी लाॅ के कानून हैं — उनको भी इसी हिसाब से परिवर्तित करना होगा। दूसरी बात एक और है जिसको मैं सदन के सामने विचारार्थ रखना चाहता हूँ और मैं आशा करूंगा कि उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और वह यह है कि क्या यह जरूरी है कि जो खर्चोंले साधन आज हमें दिखाई देते हैं, हम उन खर्चोंले रास्तों से ही देश को सुशिक्षित करें? क्या कोई लो कॉस्ट सिस्टम ऑफ

एजुकेशन हम इजाद नहीं कर सकते हैं जो हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप हो? क्या यह जरूरी है कि ज्यादा खर्चोंले सिस्टम से ही हम काम करें? एक सम्माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र जी ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। मैं उनसे इस मामले में सहमत हूँ कि अगर हम लोग लो कॉस्ट टेक्नीक्स, कम खर्चोंले रास्ते निकाल सकें और उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित कर सकें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। मैं कभी-कभी गांवों में जाता हूँ और मुझे विद्यालयों के भवनों का उद्घाटन करने के लिए बुलाया जाता है। बहुत से भवनों पर लिखा होता है कि यह वित्त बैंक के द्वारा प्राप्त सहायता से मिले हैं। मैंने बार-बार कहा है कि वह सहायता नहीं है, वह ऋण है। विश्व बैंक के द्वारा दिये गये ऋण से हम यह भवन बनाते हैं। बच्चों के मन में शुरू से ही यह भावना पैदा कर देते हैं कि यह राष्ट्र अपने बच्चों के लिए शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, कहीं बाहर से कुछ पैसा आ रहा है। कोई नहीं जानता कि ऋण लेने का क्या मतलब होता है, कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है लेकिन उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि हम अपनी शिक्षा अपने बलबूते पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शुरू से ही उसके दिमाग में यह मानसिकता बैठ जाए तो वह परमुखापेक्षी हो जाता है, वह हमेशा दूसरे की तरफ देखने का आदी हो जाता है और समझता है कि देश का विकास बिना कर्ज के, बिना बाहर से पैसा लिए हुए नहीं किया जा सकेगा। एक मानसिकता उसकी बन जाती है, यह चिंता का विषय है। आज मैं देख रहा हूँ कि इसका नतीजा यह हो रहा है कि राज्य सरकारें बजाय इसके कि अपने समाज का अंदर से अंदर उछम खड़ा करें, बजाय इसके कि अपने समाज के संसाधन इस मामले में लगाएं, वह सीधे-सीधे विदेशी एजेंसियों से सीधे बातचीत करने की तरफ बढ़ रही है। और किसी न किसी तरह से पैसा लेने की बात, जुटाने की बात कर रही हैं। मेरा अनुरोध है कि कम से कम हम अपने बच्चों को शिक्षा तो स्वयं दे सकें, प्राथमिक शिक्षा तो स्वयं दे सकें। इतने साधन तो देश को जुटाने की तैयारी करनी चाहिए और उसमें साधनों का अपव्यय नहीं हो, कम दाम में हम ज्यादा काम करवा सकें, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। मैंने इसीलिए इस बार एक योजना की शुरुआत करने की कोशिश की है जिसके बारे में, जिसके विस्तार के बारे में, डिटेल्स के बारे में हम राज्य के मंत्रियों के साथ बैठकर विचार करेंगे और वह नेशनल रीकंस्ट्रक्शन कोर की स्थापना है जिसमें हम देश के पढ़े-लिखे लोगों से, पढ़ने वाले बच्चों से, पढ़कर उपाधि प्राप्त करने वाले बच्चों से, सर्टीफिकेट

प्राप्त करने वाले बच्चों से अनुरोध कर रहे हैं कि वह आएँ और शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, विकसिता के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक साल का समय लगाएं। उस एक साल के समय में हम उनको कुछ मानदेय देंगे, पूरे साल भर उनको ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद अगर साल-दो साल बाद उनको वही काम पसंद आया तो उनके लिए रोजगार का साधन बन जाएगा। इससे प्रशिक्षित लोग मिल जाते हैं और शुरू से ही बच्चों के मन में यह भावना आ जाती है कि उन्हें अपना जीवन किस रास्ते पर ले जाना है।

रोजगार के साथ उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। विकास के कार्यक्रमों की तरफ भी उसे लगा सकते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में जो विद्यार्थियों और नवयुवकों की शक्ति आज बेकार जा रही है उसको उपयोग करने की भी हमारी इच्छा है। शिक्षा का प्रसार जल्दी तथा कम खर्च में किया जा सके यह भी उसके पीछे धारणा है। लेकिन कई बार स्थिति दूसरी भी होती है। कुछ लोगों को यह शंका होने लगती है कि यह बीजेपी का हिडन एजेंडा है, यह कोई हिडन एजेंडा नहीं है। मैंने इसके संबंध में अखबारों में लिपिणी पढ़ी है। हम सीधे-सीधे देश के नवयुवकों से अपील करना चाहते हैं, सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वह आयेँ और इसमें शामिल हों और इस योजना को आगे बढ़ायेँ। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के काम में नौजवान लोग लगे तो मैं समझता हूँ कि यह देश के लिए भी अच्छा होगा और नवयुवकों के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा।

सम्माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन से अपील करूँगा कि हम देश को किधर ले जाना चाहते हैं? हम देश को कैसा बनाना चाहते हैं? शिक्षा वह व्यवस्था है जिससे समाज अपना पुनर्निर्माण करता है। The society reproduces itself, reconstructs itself through education. अगर हम राष्ट्र के बारे में भवितव्य और उसके लक्ष्य ठीक ढंग से निर्धारित नहीं करेंगे तो शिक्षा के कार्यक्रम और शिक्षा की प्रणाली के लिए हम हमेशा इसी तरह के दिशा भ्रम में पड़े रहेंगे। हमारे देश के सम्मानित नेताओं ने बहुत पहले ही यह कहा कि शिक्षा के लिए समाज का उपक्रम होना चाहिए, समाज का सहयोग होना चाहिए। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स विद्यमान हैं जो यह बताती हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले इस देश की शिक्षा प्रणाली में यहां की पंचायतों का सबसे जबरदस्त योगदान था। पंचायत शिक्षा की व्यवस्था करती थी, स्कूल चलाती थी, अध्यापकों को रखती थी और एक्सपर्ट अध्यापकों के घर में रह कर बच्चे पढ़ते थे। वह रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि शिक्षा

सर्वजन समकक्ष थी। वह किसी एक जाति की, कि एक समुदाय की नहीं थी या किसी एक भाषा की शिक्षा पर मोनोपली या एकाधिकार नहीं था। एडम्स रिपोर्ट्स हैं और बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जो प्रकाशित रूप आज उपलब्ध हैं। जो यह भी बताती हैं कि कितने बच्चे पढ़ते थे यानी उस जमाने में एक हजार पंचपन जनसंख्या के ऊपर एक स्कूल की व्यवस्था थी एडल्ट के लिए। यह उन्नीसवीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ 1880 के आसपास की, लेकिन आज तो अब 1998, दो हजार सन पूरा होने जा रहा है और हम उस स्थान पर नहीं हैं हमारे स्कूलों की संख्या प्रति हजार या दो हजार के हिसाब से घट गई है। अगर आप विषय देखें तो देखेंगे पता लगता है कि वह ऐस्ट्रो-नॉमी तक गांव के अन्न बच्चों को बैठकर पढ़ा रहे थे, ग्रामर अच्छी से अच्छा पढ़ा रहे थे, बैकिंग पढ़ा रहे थे। यह हमारी हालत थी शिक्षा की व्यवस्था की कि उस समय उसे सरकार फण्ड नहीं कर रही थी, गांव के गांव सभा उसे फण्ड कर रहे थी, तो विचारणीय बात है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, ताकत कहां रखना चाहते हैं? मेरी निश्चित मान्यता है कि हम दिल्ली से बैठकर सारे देश के प्रशिक्षण का काम नहीं कर सकते। कोई राज्य अपने राजधानी से, कोई लखनऊ से, कोई मुंबई से, कोई चेन्नई से बैठकर अपने यहां के सारे गांवों में शिक्षा का प्रसार जल्दी नहीं कर सकता है। हमें एक विकेंद्रित योजना की जरूरत है जिससे कि हम अपने देश में शिक्षा का प्रसार जल्दी से जल्दी कर सकें और लोगों को शिक्षित करने के लिए उत्साहित कर सकें।

एक बात यह कही जाती है कि भारत निरक्षरों का देश है। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि इसे थोड़ा उलट कर के भी देख लें। भारत में आज 50 प्रतिशत साक्षरता की दर बताई जाती है। अगर जनसंख्या का 50 प्रतिशत गिनें तो यह करीब-करीब 48 करोड़ होती है या 49 करोड़ के लगभग होने जा रही है। अमेरिका की कुल जनसंख्या 24 करोड़ है। रूस को छोड़कर सारे यूरोप की जनसंख्या देखें तो वह भी 50 करोड़ से आसपास है। तो भारत केवल निरक्षरों का ही देश नहीं है यह साक्षरों का भी देश है। दुनिया के सबसे अधिक साक्षर जिस देश में रहते हैं उनमें से भारत एक है। लेकिन अपने देश को हमेशा कोसना कि हम तो कुछ नहीं हैं, हम तो बिल्कुल निकम्मे हैं, निरक्षर हैं, मैं समझता हूँ कि यह कोई अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। यह बात ठीक है कि हमें सबको शिक्षित करना है, शिक्षा को सबके पास तक पहुंचाना है, इसमें मतभेद नहीं हो सकता। अगर बार-बार यह कहे

ना कि हम तो मर गए, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, अरे प काफी हैं। अफसोस अगर करना है तो यह करें कि प्रेज के आने के पहले हम जहां थे और जैसे थे, वहां से पहुंचें। क्योंकि तब हम बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षित। यह कहना कि हम 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत शिक्षित थे, यह उचित नहीं होगा, तब हम शायद 80 तशत या 90 प्रतिशत रहे थे। गांवों के जो उस जमाने रिकाइर्स मिलते हैं वह यह हैं। महोदय, मेरा यह हना है कि हम अपने मनो से यह बात निकाल दें, हर त्र में यह कहा जाता है कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम कुछ है ही नहीं, हम तो बे-पढ़े-लिखे हैं, हमको तो छ आता ही नहीं है, ये सब बातें अब बन्द होनी हिएं। यह ठीक है, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत ।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): We are happy to know that you have realised it.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I have always realised it and I have always said it. You were not present in this house when I was the Member of this house.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I have been here for the last twenty-one years.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I don't say that you were not here earlier - you will not be here later. I wish you continue to be here only and not there. सच है उसको हम सच कहते हैं। हमारी आपकी ह से आदत नहीं है। जो बात सही है, जो बात उचित उसको हमारे नेता श्री वाजपेयी जी ने भी हमेशा सदन कहा है और हमने भी सदन में कहा है और जो गलत उसको हमेशा कहेंगे कि गलत है।

श्री राज बब्बर (उत्तर प्रदेश): आपकी तरह से, । तरफ देखकर क्या मतलब है? क्या आप समझते हैं इस तरफ बैठने वाले सारे लोग गलत ही बोलते हैं?

डॉ० मुरली मनोहर जोशी: मैं यह नहीं कह रहा हूँ। । बात को आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि प जिस भाव मुद्रा में कह रहे हैं...(व्यवधान)... प उस बात को समझ रहे हैं। इसके लिए आपकी ही लम का गाना है कि जो ना समझे वो....

श्री राज बब्बर: तो ये किस तरफ हैं, इस तरफ तो । है कहीं अनाड़ी।...(व्यवधान)

डॉ० मुरली मनोहर जोशी: इस तरफ कौन है, वह तो समय बताएगा। लेकिन जो आपका गाना है वह मैंने बता दिया।

डॉ० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात):

कभी आप यहां, कभी आप वहां।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी: कभी हम वहां, कभी आप यहां, यह बात तो चलती ही रहेगी। लेकिन उसमें जो तथ्य हैं उसको, सच को कहना चाहिए। इसमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। यह मेरी तथा हमारे नेताओं की धारणा रही है और हमने इसका पालन किया है।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार): पहले आपने कहा...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, are you yielding?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: No, Sir.

श्रीमती सरोज दुबे: हम लोग अनाड़ी हैं तो अब आप यह भी बता दें कि हम लोग क्या हैं, अनाड़ी हैं, नासमझ हैं या क्या हैं आप बता दें।...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप अपनी बात कहिए।

डॉ० मुरली मनोहर जोशी: महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें अपने देश की तरफ देखने और अपनी समस्याओं की तरफ देखने की दृष्टि में एक रचनात्मक व गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन की जरूरत है और वह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जरूर आता है। एक महत्वपूर्ण बात न्यायमूर्ति मिश्र जी ने उठाई थी कि हमारे देश में केवल अधिकारों की बात हो रही है, कर्तव्यों की बात नहीं होती। इस मामले में वे मेरे विचार जानते हैं और इस बारे में मेरी उनसे चर्चा भी हुई थी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे देश की शिक्षा के पाठ्यक्रम में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि हमारे नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी हैं, वे क्या हैं? इसके लिए मैंने एक समिति बनाई थी। उसकी रर्म्स आफ रेफ्रेन्स और कम्पोजिशन में बता रहा हूँ:

The Department of Education, in the Ministry of Human Resource Development has set-up a Committee, consisting of the following, to work out a strategy as well as a methodology of operationalis-

ing a countrywide programme for teaching fundamental duties in every educational institution as a measure of in-service training.

Chairman, Justice J. S. Varma, Former Chief Justice, Supreme Court.

Members: (1) Dr. Karan Singh  
(2) Shri L. M. Singhvi  
(3) Dr. J. S. Rajput

Member Secretary: Dr. A. K. Sharma

The terms of reference of the Committee are as under:—

- (i) To develop a package for teaching fundamental duties at primary, secondary, senior secondary and university level;
- (ii) To decide the activities as part of curriculum and co-curricular activities;
- (iii) To review the existing programme already being implemented by NCERT under the national curricular framework and the need for identifying additional inputs to it;
- (iv) To develop programme packages for pre-service or in-service training of teachers at various levels;
- (v) To develop a separate package for the training of citizens through non-formal education, adult education programmes, media-print, electronic etc...

SHRIMATI URMILABEN CHIMAN-BHAI PATEL: I would like to add something.

श्री सभापति: बाद में, बाद में, अभी नहीं।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: मैं इस भावना से बहुत पहले से सहमत हूँ और यह कमेटी भी इसी उद्देश्य से बनाई गई ताकि देश के आने वाले नवयुवकों और भविष्य में आने वाले हमारे नेताओं का अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को संतुलित ज्ञान रहना चाहिये और पाठ्यक्रम में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि

नागरिकों को अपने कर्तव्यों और अधिकारों, दोनों का ज्ञान रहना चाहिये।

एक और महत्वपूर्ण बात उठाई गई थी। सिम्बल साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) पीछे बैठे हैं आप वहां से पीछे जाते रहेंगे तो उस तरफ बाह निकलने की स्थिति आ जाएगी, इसलिए एक ही जगह पर रहा कीजिए। (व्यवधान) आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई थीं। आपने नयी शिक्षा नीति के कंट्रोलिंग बॉर्डर में बात कही थी। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हम सभी राज्य की सरकारों के साथ उनके मंत्रियों के साथ सभी विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों खेल-कूद और युवा मामलों में सभी राज्यों के मंत्रियों की बैठक हुई थी। अभी कुछ दिनों बाद महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम है, बच्चों से संबंधित जो कार्यक्रम है, सारे देश के मंत्रियों को बुलाया है। उसके बाद सारे देश के शिक्षा मंत्रियों को बुलाएंगे इनमें से जो सुझाव और कार्यक्रम छन कर आएंगे, उनका हम फिर देश के अन्य शिक्षाविदों से जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके साथ मिल बैठ कर विचार करेंगे और इस पर फैसला करेंगे कि अब इस शिक्षा नीति में जो अभी तक चल रही है कौन से इनपुट और डाल चाहिये, कौन सी चीजें इसमें से हटाई जानी चाहिये क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि केवल सरकारी दृष्टिकोण इसमें नहीं होता। शिक्षा के मामले में एक सर्व-व्यापक सार्वजनिक और आम सहमति का दृष्टिकोण होना चाहिये। इसलिए कोई हम सरकार की तरफ से एकदम चीज़ बना कर रख दे और कहें कि इसकी लागू की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहने वाले व्यक्ति होने के नाते, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे देश के सभी शिक्षाविदों और जितने हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री केन्द्र में रहे हैं, उन सभी से परामर्श करेंगे कि वह हमें बताएं कि उनके क्या अनुभव थे, वह जो काम कर रहे थे उसमें क्या कठिनाइयाँ आई थीं और उन्हें उनके बारे में क्या हल सोचा था। बहुत से हम सम्मानित मित्र दूसरे मंत्रालयों में चले गए हैं हम सब अनुभव का लाभ उठायेंगे। उसके बाद सदन के सामने आपके सामने एक मसौदा प्रस्तुत करेंगे लेकिन वह आसहमति के साथ होगा। वह सरकार की एक तरफ नौ के रूप में नहीं होगा। शिक्षा के मामले में मेरा अनुरोध है सारे देश से, सारे सदन से कि मैं इस एजेंडा को तैयार कर लेना चाहिये। यूरोप के देशों ने अपना एजुकेशन एजेंडा, पोलिटिकल एजेंडा, इकोनॉमिक एजेंडा सब तैयार कर लिया और वह उस रास्ते पर जा रहे हैं। हम छोटी-छोटी बातों और बिना किसी बहस में पड़े शिक्षा

का एजेंडा तय करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आनी चाहिये। इस में लगभग आम सहमति है।  
... (व्यवधान)

प्रो० रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): आप तो नेशनल एजेंडा में फंसे हैं। (व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी: नेशनल एजेंडा में तो हमें आपने फंसा रखा है। यदि आप अगर थोड़ी सी नज़र ठीक कर लें तो देखिये फिर क्या होता है।  
... (व्यवधान)

श्री एन्के०पी० साल्वे (महाराष्ट्र): आप अपनी नीयत ठीक करें, हमारी नज़र ठीक है। ... (व्यवधान)

डा० मुरली मनोहर जोशी: हमारी नीयत तो हम साफ कर रहे हैं, हमारी नीयत के बारे में जैसे-जैसे हम काम करते चले जाएंगे, आप को भी पता होगा और सब लोग जानते हैं कि जितने सवाल आए, उनका हमने पूरी नेकनीयती और साफ नीयत से जवाब दिया है। मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा और साइंस तथा टेक्नोलॉजी मंत्रालय का सवाल है, यह बिल्कुल आपके सामने परदर्शित के साथ काम कर रहे हैं जैसे सरकार काम कर रही है। इसलिए आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। हर सुझाव के लिए, हर आपके उपयोगी, कारगर सुझाव का हम स्वागत करते हैं और उसके बारे में कभी किसी को यह शिकायत नहीं होगी कि उनके सुझावों पर हमने ध्यान नहीं दिया। आपको शायद मालूम होगा कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बारे में जैसे ही सुझाव आए, हमने कहा कि यह बात ठीक है। हम उसपर कदम उठा रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि शिक्षा किसी एक पोलिटिकल पार्टी का सवाल नहीं है, शिक्षा सारे देश का सवाल है, राष्ट्र के भविष्य का सवाल है। इसमें राजनीति करना या इसमें हर चीज़ पर शक करना, यह ठीक नहीं है। वैसे तो साल्वे साहब गुस्ताखी माफ करेंगे शक की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। इसलिए शक करना छोड़िये, नेकनीयती और खुले दिल से आगे आइये फिर आपको पता चलेगा कि काम कैसे और कैसे बढ़िया तरीके से होता है।

एक और बात सिम्बल साहब ने उठाई थी, वह बड़ी महत्वपूर्ण बात है लेकिन मुझे आपको सूचित करना है, आप जानते भी हैं कि वह मामले अभी भी कोर्ट के सामने विचारार्थ पड़े हुए हैं। इन माइनास्टीज इंस्टीट्यूशंस के मामले में उनके द्वारा किये जाने वाले दुरुपयोग की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया था। मैं समझता हूँ जब

तक उच्चतम न्यायालय का फैसला इन प्रश्नों पर न आ जाए तो उसके सामने विचारार्थी हैं, इस बारे में कोई बात, कोई नीति, कोई चीज़ कहना उचित नहीं होगा।

एक बार जब फुल कांस्टीट्यूशनल बेंच के सामने मामले गए हुए हैं तो उनका भी विचार कर लें। हाँ, अगर कोर्ट यह कह दें कि हम इस पर विचार नहीं कर सकेंगे तब बात अलग है। फिर हमको ही विचार करना होगा। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा और धैर्य रखें तो मैं समझता हूँ कि उस मामले में कोई गलतफहमी किसी को पैदा होने की ज़रूरत नहीं होगी वरना भेरे शिक्षा मंत्री होने पर अभी इन्होंने नीयत का सवाल उठाया, फिर आज्ञाम साहब उठा देंगे, इब्राहीम साहब उठा देंगे। मैं इस चीज़ को साफ कहना चाहता हूँ, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले में थोड़ा धैर्य हमें रखना चाहिए और थोड़े दिन अगर कोई मिसयूज आपकी निगाह में आता है, उसको बर्दाश्त कर लेने में ज्यादा फायदा है बनिस्वत इसके कि कोई जल्दबाजी में कदम उठाया जाए और उससे ज्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन आपने एक अहम मसला उठाया है और मैं समझता हूँ कि इन मामलों में एक राय देश भर की हो जानी चाहिए और शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप, उनकी कार्यप्रणाली, उनके अधिकार, लिमिटेड और रिलीजियस माइनास्टी के काम करने के तरीके इनके बारे में एक आम राय बन जानी चाहिए तथा उस तरह से उन्हें काम करने की पूरी इजाजत होनी चाहिए। हमें बहुत पहले गाइडलाइन्स इस मामले में भेजी थीं। कुछ डेलीगेटेड पावर्स के बारे में भी आपका उल्लेख था। वे गाइडलाइन्स आज भी स्टैंड करती हैं। लेकिन कुछ रण्यों ने स्वयं इस बारे में आपत्ति की है कि अभी आप इन गाइडलाइन्स को फोर्स मत कीजिए। इनके बारे में ज्यादा दबाव मत डालिए क्योंकि मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़े हुए हैं मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस पर ध्यान देकर ही काम करना उचित होगा।

श्री ओ० राजगोपाल जी ने शिक्षा के बारे में दो-तीन महत्वपूर्ण बातें रखी थीं। उसमें उन्होंने एक तो यह कहा था कि जो हमारी डी०पी०ई०पी० स्कीम है उसके अंदर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो टाटा सुनो वगैरह गाड़ियों का उपयोग करते हैं। केन्द्रीय सरकार के जो परचेजिंग और इस मामले के जो उन लोगों को अधिकार दिए गए हैं उसमें एयरकंडीशंड गाड़ियों का उपयोग वर्जित है। लेकिन कुछ सरकारों ने अगर उन्हें इस तरह की इजाजत दी हो तो हम ज़रूर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उन्हें फिर से हिदायत देंगे कि इन चीज़ों में अगर

उन्हें सुदूर देहातों में जाना है तो बजाए टाटा सूमो गाड़ियों के जिप्सी से जा सकते हैं, एम्बेसडर से जा सकते हैं। साधनों का सही ढंग से उपयोग करें और कम खर्चोंले ढंग से काम चलाएं। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया।

फिर उन्होंने कुछ मिड डे मील के बारे में भी बातें कही हैं। हम उसके बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मिड डे मील—यह हमने राज्य के ऊपर छोड़ रखा है। वे कहीं पर तो पका-पकाया खाना तैयार करके बच्चों को देते हैं, कहीं अनाज का वितरण करते हैं। हम तो केवल राशि देने के लिए, पैसे देने के काम के लिए जिम्मेदार हैं। वह हम उनको उपलब्ध कराते हैं। मगर उसके बारे में मुझे अनुरोध यह करना है कि क्या यह मिड डे मील की जो स्कीम है यह शिक्षा विभाग की स्कीम मानी जाए या यह राष्ट्र की पोषण की स्कीम मानी जाए। फूड अन्य नीति के साथ माना जाए, पोषण नीति के साथ माना जाए, स्वास्थ्य नीति के साथ माना जाए या इसे केवल एक शिक्षा का कार्यक्रम मानेंगे? हम इसको क्रियान्वित कर सकते हैं हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि संस्थाएं जहां इस योजना को क्रियान्वित किया जाना है वे हमारे साथ हैं। उनका निरीक्षण हमारे विभाग के पास है। लेकिन इसका बजट, इसके लिए साधन, यह मैं समझता हूँ कि शिक्षा के सामान्य बजट से अलग होने चाहिए क्योंकि यह सीधे शिक्षा का कार्यक्रम नहीं है। यह एक सहायक कार्यक्रम है और राष्ट्र के बच्चों के पोषण का कार्यक्रम है, उनके आने वाले स्वास्थ्य का कार्यक्रम है। इसमें इन सभी मंत्रालयों को विचार करके देखना चाहिए। खाद्य मंत्रालय को भी इसमें देखना है, पोषण के लिए जिम्मेदार जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको भी इसमें देखना है। अगर देश में ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है तो उसको भी देखना है क्योंकि अगर घर में रोजगार मिलता है तो बच्चे को आहार भी ठीक मिलता है। इस तरह से वित्त मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन सबको मिल करके इस पर विचार करना चाहिए और इसका जो बजट हो वह बजट शिक्षा के सामान्य बजट से अलग करके दिया जाना चाहिए। पहले ऐसा सोचा भी गया था लेकिन बीच में मैं यह देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से यह शिक्षा के सामान्य बजट में मिला दिया जाता है। अगर यह व्यवस्था भी कर दी जाए तो करीब-करीब 2 हजार करोड़ रुपए शिक्षा के बजट में हमें और उपलब्ध हो सकेंगे तब हम प्राथमिक शिक्षा का काम भी बहुत तेजी से कर सकेंगे। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर

आम राय बननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सभी सम्मानित सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जुड़े हुए हैं। अगर बच्चे कुपोषित हैं, मैल-न्यूट्रीशन उनके शरीर में है तो फिर उनका मस्तिष्क भी अविकसित हो जाता है। तो इसलिए इस रूप में बच्चों के भविष्य के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए एक स्वस्थ बालक और शिक्षित बालक,, दोनों मिलें, हमें इस बारे में गहराई से विचार करना चाहिए और एक समेकित नीति पर आना चाहिए। एक सम्मानित सदस्य ने इस बारे में ध्यान आकृष्ट किया था कि ये सब काम कैसे हों, क्योंकि शिक्षा को लो मैरिट आइटम माना गया है। हमारी सरकार शिक्षा को लो मैरिट आइटम नहीं मानती। जहां तक मुझे याद आता है हमारे पुराने वित्त मंत्री श्री विदम्बरम जी ने एक डिसकशन के लिए नोट दिया था जिसमें उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। वह शायद, मैं नहीं समझता कि ऐसी उस सरकार की नीति रही होगी, लेकिन एक डिसकशन के लिए उन्होंने एक पेपर सर्कुलेट किया था उसमें इस शब्द का उल्लेख किया था। बाकी नियोजन से संबंधित हमारे पुराने मंत्री बैठे हुए हैं। श्री अलाष साहब, वे इस बारे में शायद ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरी जानकारी इतनी ही है। अगर हम शिक्षा को लो मैरिट आइटम मान लें तो मैं समझता हूँ कि देश बड़ी भारी गलती करेगा। इससे बड़ा अपराध देश के साथ कोई नहीं होगा कि हम इसे लो प्रायोरिटी पर रखें और लो मैरिट पर रखें। मैं समझता हूँ कि सारे सदन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि यह लो मैरिट है या हाइएस्ट मैरिट।

सभापति जी, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सन् 1975-76 तक चीन और हमारी प्रगति की दर में ज्यादा फर्क नहीं था लेकिन उसके बाद जब चीन आगे बढ़ा तो उसका एक कारण यह था कि उसने दो चीजों पर सब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और वह शिक्षा और कृषि था। दुर्भाग्य से हमने इन दोनों का ही दुर्लक्ष्य इस देश में किया है। अगर हम चीन की प्रगति को देखें तो हम देखेंगे की सन् 1976-77 के बाद चीन ने इस तरफ पूरा ध्यान देना शुरू किया तो शिक्षा और कृषि में इन्वेस्टमेंट की दरें बढ़ाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले 10-12-15 साल में चीन सब दृष्टियों से आगे बढ़ने में सक्षम हो सका। मैं अनुरोध करूंगा और सारे राष्ट्र से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में हम आम सहमति करें, हम एक फैसला करें कि आने वाले दस सालों में हम शिक्षा को हाइएस्ट प्रायोरिटी आइटम मान कर रखेंगे और इसका निवेश, इसका इन्वेस्टमेंट हम इस स्तर तक

रखेंगे और वह इन्वेस्टमेंट सरकारी और गैर सरकारी सभी स्रोतों से होना चाहिए। इस बारे में भी हमें आम राय बना लेनी चाहिए। कई बार यह कहा जाता है कि अगर शिक्षा में बाहरी स्रोतों से निवेश होने लगा यानी गैर सरकारी स्रोतों से होने लगा तो शायद शिक्षा पूरे तौर पर कैपिटलिस्टों के हाथ में चली जाएगी या पूरे तौर पर इसका निजीकरण होगा तो जिसका उपयोग निर्धन व्यक्तियों के लिए हो नहीं सकेगा। यह प्रश्न बार-बार उठाया जाता है। मगर उसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। आखिर आज कलकते में बिजली की व्यवस्था आपने निजी लोगों के हाथ में दी और कलकते की बिजली की व्यवस्था सुधर गई और मैं नहीं समझता कि उससे गरीब आदमी को बिजली मिलना बंद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता ... (व्यवधान) नहीं-नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज ... (व्यवधान) अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज भी वैसे ही हो। ... (व्यवधान)

श्री एन० के० पी० साल्वे: रास्ते निकालने पड़ेंगे।

डा० मुरली मनोहर जोशी: हां, रास्ते निकालने पड़ेंगे और मैं बताता हूँ कि इसके लिए क्या रोकथाम की जाए कि शिक्षा केवल धनी व्यक्तियों को ही उपलब्ध न हो, यह सब को मिल सके। यह रास्ते निकालते हुए भी हम सार्वजनिक रूप में लोगों को उत्साहित कर सकते हैं। इस देश में ऐसे यहां बहुत से लोग हैं जो यहां की परंपरा के अनुसार बच्चों को शिक्षा देने के लिए तरह-तरह के रास्ते अपना सकते हैं और आगे आ सकते हैं। मैंने जैसे निवेदन किया ... (व्यवधान)

SHRI S.R. BOMMAI (Karnataka): Sir, I would like to clarify one point. The United Front Government in its Common Minimum Programme gave top priority to education and making education a fundamental right. In accordance with the Common Minimum Programme a Bill was introduced in the House for making education a fundamental right. The Bill was referred to the Standing Committee on Human Resource Development. The Committee has already submitted a report. Now the report is for the consideration of the hon Minister.

डा० मुरली मनोहर जोशी: आपका कथन बिल्कुल ठीक है। यह बिल हमारे पास विचाराधीन है और जो भी सिफारिशें की गई हैं उसके लाइट में हम उसे देख रहे हैं कि फंडामेंटल, कंपल्सरी और फ्री करने के ऐसे रास्ते न

हों कि जिससे गरीब आदमी जो अपने बच्चों को न पढ़ा पा रहा हो, वह कहीं जेल न चला जाए, उसको भी बचाना है। इस तरह से हम उसके सभी अंगों पर विचार कर रहे हैं और यह तो सारा राष्ट्र मानता है कि यह सब को मिल कर करना है। हरेक बच्चे को शिक्षा मिलना उसका अधिकार है। यदि यह बात स्वीकार कर ली गई तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि शिक्षा के मामले में हमें पंचायती राज संस्थाओं से लेकर केन्द्र की सरकार के स्तरों तक निर्धारण करना पड़ेगा। उन को अधिकार देने पड़ेंगे उन की कार्य-सीमा का विस्तार करना पड़ेगा और वहां से साधन उपलब्ध हों, इस का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार-बार कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लायमेंट इश्योरेंस स्कीम या हमारे माननीय संसद सदस्यों को जो अपना लोकल एरिया डवलपमेंट फंड मिलता है इन सब के माध्यम से भी शिक्षा का विस्तार किया जाए और शिक्षा के साधन जुटाए जाएं। मैं सदन से अपील करूंगा कि वह इस मामले में गंभीरतापूर्वक विचार कर जो लोकल एरिया डवलपमेंट फंड के पैसे हमारे पास आते हैं, उस में से एक निश्चित मात्रा में, चाहें तो पचास प्रतिशत, शिक्षा संस्थाओं के काम के लिए लगाए जाएं। अगर यह फैसला किया जाता है तो हरेक कांस्टीटुएंस में 50 लाख रुपया तो शिक्षा में काम के लिए उपलब्ध हो ही सकेगा। इस के लिए विचार किया जा सकता है और फैसले किए जा सकते हैं और उस पैसे का उपयोग जहां स्कूल नहीं हैं, वहां स्कूलों के लिए या जहां स्कूल में किसी चीज की कमी है तो उसे पूरा करने के लिए किया जा सकता है। उस की नियमावली में संशोधन किए जा सकते हैं। अभी उस में रख-रखाव के लिए पैसे देने की व्यवस्था नहीं है, मेंटेनेंस के लिए पैसे देने की व्यवस्था नहीं है, वह अगर की जाए तो बहुत सी बातें जो सनातन बिसि जी और लोग बता रहे थे, उन का निवारण और निराकरण हम कर सकते हैं। अगर हम ये कदम उठाएं और इस तरह से आगे बढ़ें, तो मुझे भरोसा है कि शिक्षा के विस्तार में, शिक्षा को आगे बढ़ाने के काम को हम बहुत तीव्र गति से कर सकते हैं।

सभापति जी, अभी एक बात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की सैलरीज के बारे में उठाया गया। अध्यापकों के बारे में कई सम्मानीय मित्रों ने यह बात कही। मैं सदन से बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहता हूँ कि पहले मैं इस बात को साफ कर दूँ कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की रिपोर्ट क्या थी और उन्होंने उस को



कैसे हमारे सामने और देश के सामने रखा। मैं समझता हूँ कि हमारी एच०आर०डी० स्टैंडिंग कमेटी के सामने भी सारे तथ्य आ गए हैं। सब से पहले 13 जून, '97 को जो मीटिंग यू०जी०सी० की हुई थी, उस में उन्होंने रस्तोगी कमेटी के वेतन के मामले में जो रिपोर्ट थी, उस को पूरे-पूरे तौर पर स्वीकार कर लिया था। उन्होंने इस में लिखा है कि:

"Pay Scales of Teachers and Other Officers: The Pay Review Committee recommended Pay Scales keeping in view the revision as suggested by the Fifth Pay Commission and the relative position of teachers vis-a-vis other professions. In addition, Pay Scales for inter-university centres and other other organisations on replacement basis were recommended".

और इन की मिनिट्स कहती है कि:

"The Commission accepted the recommendations with regard to the Pay Scales with the following observations".

वह कंडीशनलिटीज के बारे में है, लेकिन पे-स्केल्स के बारे में इस में नीचे कुछ नहीं लिखा। वह पे-स्केल्स तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। उस के कुछ दिनों बाद इन्होंने अपनी एक रिवाइज्ड रिपोर्ट सामने रखी। मैं नहीं समझता कि इस तरह से जो पे-स्केल्स स्वीकार कर लिए गए, उन को इस प्रकार से बदलने की कोई पद्धति हो सकती है। अगर यू०जी०सी० का रस्तोगी कमेटी के साथ कोई मतभेद था तो वह पहले ही कहते कि हम इस से असहमत हैं और हम यह नई बात प्रस्तावित कर रहे हैं या कोई दूसरी कमेटी बिठाने की बात करते। आम तौर पर जब भी कभी कोई ऐसी पे-रिवीजन कमेटी बैठती है यू०जी०सी० की, तो फिर उस की रिकमंडेशंस में थोड़ा-बहुत सुधार हो सकता है, लेकिन उसको आज निरस्त कर के उस को बिल्कुल हटा के, बाजू रख के नई स्कीम तजवीज करना कोई बहुत उचित बात नहीं है और शायद यह किया जाना हर तरह से अनुचित ही था। लेकिन हम ने अभी तक जो विचार किया था, उस के बाद कुछ पे-स्केल्स की घोषणा की। फिर उस के बारे में विभिन्न अध्यापक संघों ने अपनी कठिनाइयाँ सामने रखीं जिन के बारे में विचार किया जा रहा है, सभी अध्यापक संघों के बात हुई है, यू०जी०सी० से बात हुई है और सभी राज्यों के सेक्रेटरी को बुलाकर बातचीत की है। उन की कठिनाइयाँ समझीं हैं और अब उस पर विचार कर के कैबिनेट फैसला

करेगी क्योंकि पहले वह कैबिनेट का ही फैसला था। हम फिर उस के सामने जाएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी इस मामले में अंतिम फैसला कर लिया जाएगा।

सभापति जी, एक बात डा० रमेन्द्र कुमार यादव रवि की तरफ से उठायी गयी और उन्होंने कहा था कि बिहार में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को तनखाहें केन्द्रीय विश्वविद्यालय की तनखाहों से कम हैं। हम तो यहां से पे-स्केल की घोषणा करते हैं और पे-स्केल की घोषणा की वजह से राज्य सरकारों पर जितना बोझ पड़ता है उसका 80 फीसदी पांच साल तक हम बराबर उनको देते हैं। अब राज्य सरकारें अपने यहां क्या करती हैं, कैसे इंप्लीमेंट करती हैं, वहां के अध्यापक-संघों के बीच उनका क्या तय होता है, उसमें हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। हमारा उद्देश्य यह होता है कि यह हमारे स्केल है और उसकी वजह से जो आप पर बोझ पड़ रहा है उसका 80 फीसदी हमने उनको दे दिया।

महोदय, बिहार में एक और स्थिति हो गई है, जो मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा कि वहां 18,000 विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, ऐसा हमें बताया गया है। अब उसमें 14,000 प्रोफेसर हैं, 3,000 रीडर्स हैं और 1000 लेक्चरर हैं। यह परिस्थिति बिहार के अंदर है। अब मैं नहीं जानता कि वहां की सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी और वहां के अध्यापक उससे कैसे छुटकारा पाएंगे। यह मेरी समझ में भी नहीं आता।

प्रो० रामगोपाल यादव: अध्यापकों को तो लाभ है। वह क्यों छुटकारा चाहेंगे?

All of them would like to be professors.... (Interruptions)...

डा० मुरली मनोहर जोशी: जी, बिल्कुल सही है, लेकिन वहां की सरकार अगर प्रोफेसर को लेक्चरर की तनखाह देगे तो उसका क्या होगा? उनको तो उसकी तनखाह मिलनी नहीं!...(व्यवधान)।

DR. RAMENDRA KUMAR YADAV RAVI (Bihar): The Government had taken a decision and time-bound promotions were given to them. As a result of the time-bound promotion, they were promoted to the grades of professors, etc. This is the fact.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: The fact of life is this.

यह कठिनाइयाँ हैं। आज तीन लाख से अधिक विश्वविद्यालयों के अध्यापक हैं, जो देश के विभिन्न कालेजों में बिखरे हुए हैं। राज्य सरकारों की अपनी कठिनाइयाँ हैं। बहुत सी राज्य सरकारों ने तो 1986 के वेतनमान भी 1990 और 1991 में जाकर इंप्लीमेंट किए थे और कुछ ने तो बाद में इंप्लीमेंट किए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी अधिक से अधिक दिया जा सकता है, वह हम जरूर देने की कोशिश करेंगे।

महोदय, मैं एक बात की तरफ और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और वह एक वस्तुस्थिति है, यह कि धीरे-धीरे शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिक प्रतिभावान लोग थे, उनका आना कम हो गया है। कुछ राज्यों ने, विश्वविद्यालयों ने और कुछ संस्थाओं ने यह कठिनाई हमारे सामने रखी है कि अब क्वालिटी प्रोफेसर उनके पास नहीं टिकते। इस बात में वजन है क्योंकि बहुत से लोग मल्टीनेशनल या अन्य ऐसे उद्योगों की तरफ जा रहे हैं, जहाँ तनखाह अधिक पाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में यह कठिनाई खासकर लेबोरेटरीज में आ रही है। इस ओर मैं माननीय सदन का ध्यान इसलिए आकृष्ट कर रहा हूँ कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले पांच या दस सालों में हमें प्रोफेसर भी इम्पोर्ट करने पड़ सकते हैं, जैसे कैपिटल इम्पोर्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट कर रहे हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही हो सकता है प्रोफेसर भी इम्पोर्ट करने पड़ जाएँ। इससे बचने की जरूरत है और ध्यान देने की जरूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी स्थिति न बनने पाए। हम जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कर रहे हैं वह तब तक नहीं बनेगी, जब तक कि उसके लिए प्रशिक्षित, क्वालिफाइड ट्रेड हैंड्स यहां नहीं होंगे और वह ट्रेड हैंड्स तभी होंगे जब कि क्वालिफाइड प्रोफेसर और वेल ट्रेड प्रोफेसर वहां हों।

महोदय, मैं अभी यह रिपोर्ट देख रहा था। मुझे यह देखकर हैरत हुई कि यह परिस्थिति सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं है, बल्कि इंग्लैंड में भी आ गई है। अभी हमारे कुछ विशेषज्ञ इंग्लैंड गए थे, उन्होंने वहां से आकर यह मुझे रिपोर्ट दी है, जिसे देखकर मुझे लगा कि यह एक कठिनाई न केवल हमारे देश में है बल्कि उन तमाम देशों में भी है, जहां मार्केट फोर्स काम कर रही है। वहां अब कुछ विषयों के प्रोफेसर ही नहीं हैं, जिससे कुछ संस्थानों ने ऐसे विषय बंद कर दिए हैं। फिजिक्स जैसा कोर्स कुछ संस्थानों ने बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अध्यापक नहीं मिलते।

श्री एन.के.पी० साल्वे: सियासत में वह आ गए हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: जी हां, सियासत में आने के बाद ही वह इस हैसियत में आए कि इसको ठीक कर सकें। तो यह कठिनाई आ रही है और इसको देखना पड़ेगा कि शिक्षा केवल मार्केट फोर्स पर ही क्या चलेगी? यह एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर गंभीरता से सदन को विचार करना है कि क्या शिक्षा केवल मार्केट फोर्स पर ही छोड़ दी जाएगी या राष्ट्र को किस किस प्रकार की विधाओं और विद्याओं की जरूरत है, इस पर भी विचार किया जाएगा। अगर कोई भी विषय एक बार बंद कर दिया जाता है तो उसको फिर दुबारा शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। बीसियों पच्चीसों साल लग जाने के बाद कहीं वह ग्रुप, कहीं वह ट्रेडीशन बनते हैं, इसलिए मेरा सदन से अनुरोध है कि हायर एजुकेशन के मामले को उसी गंभीरता से लें, जिससे कि हम प्राइमरी एजुकेशन और एलीमेंटरी एजुकेशन के मामलों को लेते हैं। उसको इस तरह से कदापि न देखें कि यह एलीमेंटरी एजुकेशन है और यह हायर एजुकेशन है। अगर एलीमेंटरी एजुकेशन नहीं होगी तो हायर एजुकेशन कौन पढ़ेगा? हायर एजुकेशन वाले लोग नहीं होंगे, तो नीचे पढ़ाएगा कौन और देश का विकास कौन करेगा? इसलिए इस बारे में बहुत गंभीरता के साथ ध्यान देने की जरूरत है और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस पर एक आम सहमति बनाकर हमें अपने देश की नीतियों का फैसला करना चाहिए और जितनी जल्दी हम यह फैसला कर लेंगे, उतनी ही जल्दी देश का भला होगा।

एक सवाल उठाया गया था कि जो सैक्शनस आजकल लग रहे हैं, उसका असर हमारे देश की शिक्षा पर क्या पड़ेगा? इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो कंटीन्यूइंग स्कीम है, जिनमें कि हम पहले से पैसा लेते चले आ रहे हैं और वे चल रही हैं, उनमें तो अभी कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जो स्कीम बंद हो गई है और उनको आगे चलाने का सवाल हो या हम नई स्कीम शुरू करें, उसके बारे में देखना पड़ेगा है कि उन सरकारों का या उन संस्थाओं का क्या रुख होगा, वे हमारे साथ कोई लेन-देन करना चाहती हैं या नहीं। लेकिन एक बात हम समझें कि हमें यह कोई मदद नहीं है, छूट नहीं है, यह कर्जा है सीधा-सीधा, फर्क यह है कि वह 4 परसेंट पर मिल रहा है, 3 परसेंट पर मिल रहा है। अगर हमें शिक्षा देनी है और हमें पैसा उधार लेकर देनी है तो हम अपने बाजार से भी पैसा उधार ले सकते हैं, हम विदेशी बाजार से भी ले सकते हैं अगर हमें उधार ही लेना है

आज 4 परसेंट पर मिल रहा है, ये नहीं देंगे तो दूसरा कोई 6 परसेंट पर देगा, 8 परसेंट पर देगा, लेकिन इन स्कीम्स को हम बंद नहीं होने देंगे। शिक्षा के काम के लिए हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, हम करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सबको मिलकर पूरे साधन जुटाने पड़ेंगे। किसी और जगह देश कमजोर रह सकता है लेकिन इस मामले में नहीं रह सकता। अगर ज्यादा ब्याज भी देना पड़ा तो हम देंगे लेकिन शिक्षा की स्कीम्स को बंद नहीं करेंगे। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इन सभी स्कीम्स में एक न एक जगह हम इंडिजनेस कम्पोनेंट्स की भी शुरुआत कर रहे हैं। कोई स्कीम ऐसी न रहे जो शत-प्रतिशत विदेशी मुद्राओं पर या विदेशी उधार पर निर्भर करती हो, हम एक प्रतिशत निर्धारित करेंगे कि कम से कम इतना हम अपने साधनों से अवश्य लगाएंगे ताकि आगे अगर कभी दिक्रत पड़े तो हम उसका विस्तार कर सकें और हम प्लानिंग कमीशन से यह बात कहना चाहते हैं कि इन स्कीम्स के बारे में विचार किया जाए तथा ये किसी भी हालत में बंद नहीं होने दी जानी चाहिए।

एक और समस्या की ओर मैं आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि उस पर हमें गहराई से विचार करना है। शिक्षा के क्षेत्र में पैसे के अभाव के कारण कुछ राज्य सरकारें अब सीधे ही इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बातचीत कर रही हैं, उसकी इजाजत पिछली सरकारों ने उन्हें दी है। राज्य सरकारों बात करें लेकिन उन बातचीतों का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, दिशा-निर्देश क्या होने चाहिए? अगर कोई विदेशी एजेंसी यह कहती है कि आप अगर शिक्षा का कार्यक्रम चलाने के लिए पैसा चाहते हैं तो आपको इकाईयिक रिस्ट्रक्चरिंग भी करना होगा, अगर यह सवाल कोई रखे तो क्या हमें ऐसी स्कीम्स माननी चाहिए? क्या शिक्षा में हमारी पैसे की कमी को हम इस आधार पर दूर करने के लिए तैयार हो जाएं कि केन्द्र सरकार से बिना बात किए ही राज्य सरकारों को यह हक दे दिया जाए कि वे अपने यहाँ कैसा भी रिस्ट्रक्चरिंग कर लें? कल को इसमें से यह बात उठेगी कि आप हमसे पैसा मांग रहे हैं, हम पैसा देंगे लेकिन आप अपने राज्य की फूड हेबिटस बदलवाएं, ड्रेस हेबिटस बदलवाएं, करना हम स्कीम्स विद्वद्ध कर लेंगे और क्या राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार की गाइडलाइंस के बगैर, बिना उनसे पूछताछ किए और जो केबिनेट में तय की हुई नीतियां हैं, उनसे बाहर आकर इस तरह के समझौते करने की सुविधा मिलनी चाहिए? ये सवाल मेरे सामने उठते रहते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि हम शिक्षा के लिए पैसा

जरूर लें लेकिन हम अपने स्पाइन को भी ज़रा मजबूत रखें। हम कन्वींस कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन राज्य सरकारों ने इस बारे में थोड़ी चौकसी रखी है और थोड़ा सा अपने आपको ठीक ढंग से पेश किया है, वहां ये विदेशी एजेंसियां हमारी शर्तों पर पैसा देने के लिए तैयार हुई हैं। तो मैं यह बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ, इस पर देश को फैसला करना है, सभी पार्टियों और सभी लोगों को फैसला करना है कि किस हद तक शिक्षा के मामले में हम विदेशी रुपया लाएं, किन शर्तों पर लाएं, कैसे लाएं और इस बारे में एक आम राय बननी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

श्री सनातन बिसि जी ने उड़ीसा के बारे में बहुत सी बातें कही थीं, उस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि वह तो उनके राज्य का मसला है। हम राज्य सरकार को केवल सलाह दे सकते हैं और आपने जो कठिनाइयां बताई हैं, उनको हम वहां सरकार के पास भेज देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि संवैधानिक रूप में हम किसी सरकार को कुछ कदम उठाने या न उठाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर फिर हम कोई एजुकेशन की टीम भेज भी देंगे तो हमारे दोस्त सलीम साहब तत्काल उस पर आपत्ति करेंगे और कहेंगे कि यह टीम आपने कैसे भेज दी? मैं समझता हूँ कि इस मामले में हम उनको अवश्य अवगत करा देंगे कि यह सवाल उड़ीसा के बहुत से स्कूलों के बारे में आपने रखा है, लेकिन बेहतर यह होगा कि जो सम्मानित सदस्य उड़ीसा की विधान सभा में हैं और उड़ीसा के अन्य लोग हैं, वे उड़ीसा सरकार से मिलकर इस बारे में विचार करें।

महोदय, श्री राम नाथ कोविन्द जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था और वह यह था कि कम से कम एलिमेंटरी स्कूलों में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके सामने शौचालयों की बड़ी कठिनाई रहती है। प्राथमिक विद्यालयों की समस्या एक प्रकार की है लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे बालिकाओं की उम्र बढ़ती है तो उनके सामने प्राइवैसी का भी सवाल उठता है। पांचवीं कक्षा तक के लिए कुछ प्रबंध विद्यालयों में हैं लेकिन एलिमेंटरी स्कूल के लिए कठिनाई उन्होंने बताई है जो जायज़ है और वाजिब है। हम राज्य सरकारों से अनुरोध करते जा रहे हैं कि वे इस तरफ ध्यान दें लेकिन जैसा मैंने बताया कि जे०आर०व्हाई०, कूरल सैनिटेशन, इम्प्लॉयमेंट इश्योरेंस और एम०पीज़ के फंडज़, इनमें से कुछ पैसा निकालकर हम फेज़बाईज़ कुछ व्यवस्था करते चलें तो इस समस्या का निदान किया जा सकता है। यह बहुत महंगा भी नहीं है, कुछ हजार रुपए

में हम यह सुविधा दे सकते हैं। कहीं अगर कम्युनिटी की ओर से सुलभ शौचालय का प्रबंध किया जा सकता है, तो वह हमें करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसकी ओर कोविन्द जी ने ध्यान आकर्षित किया है और मुझे उम्मीद है कि सारा सदन इससे सहमत है।

श्री दत्ता जी ने यह कहा था कि हमारा बजट बॉयस्ड है। हॉयर एजुकेशन की ओर लैकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे कुल बजट का 65 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक शिक्षा और ऐलिमेंटरी शिक्षा में चला जाता है। इसलिए यह हॉयर एजुकेशन की तरफ बॉयस्ड नहीं है। बल्कि उल्टे यू०जी०सी० की यह शिकायत है कि उनका फंड तो घटता जा रहा है और विश्वविद्यालयों की बहुत कठिनाइयाँ हैं, जिनको वे हल नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि प्राथमिक शिक्षा और ऐलिमेंटरी शिक्षा देने के लिए संविधान का निर्देश है, इसलिए इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना हमारा मुख्य दायित्व है। हॉयर एजुकेशन में तो हमें केवल एक्सलेंस का विचार करना है और गुणवत्ता अच्छी हो, इसका ध्यान रखना है। हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह राज्य सरकारों से मिलकर और यू०जी०सी० से मिलकर ऐसे केन्द्रों का चयन करे जो एक्सलेंस की ओर बढ़ाए जा सकते हैं। पिछले दिनों में ऐसी कई स्कीम्स थीं जो शायद अब बंद हो गई हैं। हम उनको फिर से चालू करेंगे नए परिप्रेक्ष्य में और मेरा विश्वास है कि हम ऐसे एक्सलेंस के केन्द्र देश भर में बना सकेंगे। इसके लिए वैज्ञानिकों से बात हो रही है, उद्योगपतियों से भी बात हो रही है।

महोदय, मैं उद्योग, शिक्षा तथा विज्ञान की टेक्नोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर शिक्षा और विज्ञान की औद्योगिक नीति, इस पर विचार करने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों से इस बारे में बात हो चुकी है, उद्योगपतियों के कुछ संगठनों से बात हुई है और वे भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। अब केवल यूनिवर्सिटीज के बाईस-चांसलर्स और यू०जी०सी० से बात करना शेष है। उसके बाद हम एक बड़ी समिति बनाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे जिससे उद्योगों से धन विश्वविद्यालयों में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, प्रौद्योगिक संस्थानों में आएगा। महोदय, साईंस इंस्टीट्यूट्स और सी०एस०आई०आर० की परबोयल शालाएं और अन्य संस्थान टेक्नोलॉजी का विचार करेंगे और शिक्षा संस्थाएं उन्हें आवश्यक मैन-पावर देंगी और साईंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्रदान करेंगी। चूंकि इंडस्ट्रीज इसकी बैनिफिशियरी होंगी, इसलिए वे इसकी फंडिंग करेंगी। यह स्कीम आपके सामने आएगी और आप सब लोगों के सहयोग से हम इसको चलाएंगे।

महोदय, हमारा उद्देश्य यह है कि हम प्लानिंग कमीशन से और बाकी लोगों से बात करेंगे कि आने वाले 10-15 सालों में हिंदुस्तान की प्रगति का आधार क्या हो सकता है, कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमारे उद्योगपति आगे आना चाहते हैं, उसके लिए कितनी टेक्नोलॉजी हम देश में उपलब्ध करा सकते हैं, इंडस्ट्री में उपलब्ध करा सकते हैं, कितनी मैन-पावर की जरूरत है, इन सबका विचार हम करेंगे।

इसी तरह से पोलिटेक्निक, मीडियम स्केल इंडस्ट्री और सेकेंडरी स्कूल्स इन पर विचार आने वाले दिनों में अलग-अलग ढंग से होगा ताकि वोकेशनलाइजेशन हो सके, रोजगार मिल सके और शिक्षा संस्थानों को पैसा मिल सके। यह वह रास्ता है जिससे पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशन हो सकेगा और किसी एक के हाथ में शिक्षा का नियंत्रण नहीं रहेगा।

महोदय, डिस्टेंट एजुकेशन के बारे में एक बात कही गई थी और मैं आपको विनम्रता से सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का जो नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस है, उसमें डिस्टेंट एजुकेशन को बहुत महत्व दिया गया है। पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने एक टास्क फोर्स बनाया था इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। उस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री जी को सौंप दी, उसके पश्चात् वह रिपोर्ट अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास विचारार्थ है और यहां से उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारा यह निश्चित मत है कि इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बने क्योंकि आने वाले भविष्य में इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश की आर्थिक प्रगति में करेगा। जिस मात्रा में हम आज अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वह बड़ा सराहनीय है और इसमें एक्सपोर्ट की बहुत भारी गुंजाइश है। ज्ञान को समृद्धि में बदलने का यह एक मार्ग है। इसके लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी हम अध्ययन कर रहे हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि देश में ऐसे केन्द्र बने जिनमें इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक पठन-पाठन कराया जा सके और उसका उपयोग शिक्षा के माध्यम से भी किया भी जा सके। इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दूर-दराज के क्षेत्रों को भी शिक्षित कर सकते हैं। इसमें यह जरूर है कि शुरू में कुछ इन्वेस्टमेंट अधिक होगा लेकिन उसका आगे चलने वाला इन्वेस्टमेंट जो है, वह बहुत कम हो जाता है। तो जैसे ही उसका खाका बन जाएगा, हम आपको सूचित करेंगे। कुल मिला कर शिक्षा का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जिसको हम स्पर्श न करें।

एक बात स्पोर्ट्स के बारे में कही गई थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस बार हमने यह निश्चित किया है कि बीस विद्यालय केवल स्पोर्ट्स के लिए हम देश में बनाएंगे। वे स्पोर्ट्स स्कूल होंगे। बीस विद्यालय चलाएंगे और उनका पठन-पाठन स्पोर्ट्स के तौर पर होगा। उनका पाठ्यक्रम भी थोड़ा सा भिन्न होगा और उसके बाद हम जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनसे, जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनसे, रेलवेज से, इन सबसे यह अनुरोध करेंगे कि इन स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को वे अपने यहां निश्चित रूप में नौकरियां प्रदान करें और जैसा कि आज है कि जब वे संस्थाएं उनको स्पॉन्सर करेंगी तो उनका प्रचार भी होगा। एडवर्टाइजमेंट्स का खर्चा भी वे इस रूप में कर सकते हैं और इस तरह से देश में अच्छे खिलाड़ियों का निर्माण कर सकते हैं। राज्यों के साथ मिलकर हमने यह फैसला किया है कि वे हमें बताएं कि किन-किन खेलों में वे विशेषता प्राप्त करेंगे, स्पेशलाइज करेंगे? यह जरूरी नहीं है कि हर विद्यालय हर खेल में स्पेशलाइज करे। कुछ जिम्नाजिम में कर सकते हैं, कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं, कुछ हॉकी के, कुछ फुटबाल के। बंगाल में फुटबाल की एक बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा है, केरल में भी है। इसी तरह से कुछ क्षेत्र हैं जहां क्रिकेट की बहुत अच्छी परंपरा है, कुछ के यहां हॉकी की बहुत अच्छी परंपरा है। तो हम कोशिश यह करेंगे कि इन छात्रों के सामने यह लक्ष्य रखा जाए कि उन्हें अमुक ओलम्पिक में या अमुक एशियाड में अपने आप को यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करके दिखाना है और स्वर्ण पदक प्राप्त करके लाना है। एक इस भावना के साथ हम इस सारी शिक्षा को यहां शुरू करना चाहते हैं और राज्यों से यह बात चल रही है कि वे अपने यहां स्कूलों को आईडेंटिफाई करेंगे और उसके आधार पर फिर एक ऐसी अच्छी योजना स्पोर्ट्स के लिए बनाएंगे। यह सुझाव भी हमने राज्य सरकारों को दिया है अभी जो मंत्रियों की बैठक हुई थी कि हर स्कूल को खेल के मैदान से जोड़ा जाए। बहुत से स्कूल हैं जिनके पास खेल के मैदान नहीं हैं लेकिन बहुत से स्कूल हैं जिनके पास है। तो यह व्यवस्था की जा सकती है और की जानी चाहिए कि हर स्कूल को जिसके पास मैदान है, उसके साथ चार-पांच वे स्कूल जोड़ दिए जाएं जिनके पास मैदान नहीं हैं। खेल के मैदान का बंटवारा ऐसे किया जा सकता है कि सप्ताह में इतने दिन इस स्कूल के लिए उपलब्ध रहेगा या इतने बजे से इतने बजे तक उसके लिए उपलब्ध रहेगा। गांवों में भी दो-तीन किलोमीटर या चार किलोमीटर की दूरी पर ऐसी व्यवस्थाएं की जा सकें तो वह की जाएं, यह

इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारा प्रयत्न है कि खेल के मामले में भारत की जो पूरी क्षमताएं हैं, उसका विकास किया जाए। यह भी कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में जहां हमें उत्तम कोटि के खिलाड़ी मिलते हैं, उनमें इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए और कुछ न कुछ स्कूल हम उन क्षेत्रों में ही आईडेंटिफाई करके चलाएं।

श्री सभापति: देखिए मंत्री जी, एक मिनट रह गया है।

डा० मुरली मनोहर जोशी: बस, मैं एक मिनट में ही पूर कर दूंगा।

श्री एन० के० पी० साल्हे: एम०पी० फंड हम लोग स्पोर्ट्स के लिए लगा सकें, ऐसी कोई व्यवस्था कए।

डा० मुरली मनोहर जोशी: जी हां, लगा सकते हैं। खेल के मैदान के लिए तो लगा ही सकते हैं।

1.00 P.M.

और कहीं पर खेल का भवन बनाना हो, उसके लिए लगा सकते हैं। खेल का भवन बना सकते हैं, खेल के मैदान के लिए। ... (व्यवधान)...

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): जोशी जी, एक-आर०डी० कमेटी की रिक्मेंडेशंस स्पोर्ट्स के बारे में थी कि अर्बन एरिया में खेल के मैदान बहुत कम हैं तो सैटल गवर्नमेंट की जो ऐजेंसिज हैं—रेल, पोर्ट, डिफेंस, उनके पास जो ऐडिशनल लैंड है, वहां नयी कंस्ट्रक्शन नहीं करके क्या उसे आप खेल के लिए प्रीजर्व कर सकते हैं?

آلہ انٹرنیٹ محمد سلیم : جوئی جی، ایچ۔ آر۔ ڈی۔ کمیٹی کی ریکمنڈیشنس اسپورٹس کے بارے میں تھی کہ اربن ایریا میں کھیل کے میدان بہت کم ہیں تو سیشنل گورنمنٹ کی جوائنٹنیشنس ہیں، ریل، پورٹ، ڈیفینس، ان کے پاس جو ایڈیشنل لینڈ ہے، وہاں نئی کنسٹرکشن نہیں کر کے کیا اسے آپ کھیل کے لئے پریزرو کر سکتے ہیں؟

डॉ० मुरली मनोहर जोशी (दिल्ली): इस पर भी हम विचार करेंगे और रेलवे मंत्रालय से बात करेंगे।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: मंत्री जी, जो खेलों के मैदान बना सकते हैं, खेल के लिए बिल्डिंग बना सकते हैं पर खेलों का सामान आज नहीं रख सकते हैं। जिम का सामान—बॉडी बिल्डिंग का, वेट लिफ्टिंग का—कुछ नहीं रखा जा सकता है। अगर आप उसे स्वीकार करें कि सभी सदस्य एक-एक जिम अपने एरिया में बना दें तो हिन्दुस्तान भर में आठ सौ जिम बन सकते हैं।

श्री एन०के०पी० साल्वे: मंत्री जी यह भी स्पष्ट कर दें। भवन बना सकते हैं पर मैदान नहीं बना सकते। इसको कृपा करके स्पष्ट कर दें। यह ठीक कह रहे हैं। अगर सामान नहीं दे सकते तो खेलेंगे किस जीज से? ... (व्यवधान) ...

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" (उत्तर प्रदेश): जो मान्यता प्राप्त हैं, उनको नहीं दे सकते। अगर इस चीज की व्यवस्था हो जाए तो शिक्षा में बहुत काम होगा।

SHRI S.B. CHAVAN (Maharashtra):-I have a small question to put. I was under the impression that after his speech is over, then possibly we can put some questions. There is one question about which I would like to keep the record straight because you have made a reference to the Standing Committee. That was about the controversy of the Rastogi Committee and UGC's recommendations later on. In order to make matters very clear, in fact, I have gone thoroughly into the entire thing and the Rastogi Committee was not the final word which the UGC had recommended. That is the only point which, I thought, I should make. In order to keep the record straight, this should be brought on record.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I had said that UGC had accepted the Rastogi Committee's recommendations initially.

SHRI S.B. CHAVAN: That is not a fact.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: That is a fact. I can read it from the letter.

SHRI S.B. CHAVAN: I have gone through the letter.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I can place it on the Table. I have read it and I can again show it and place it on the Table of the House if the hon. ... (Interruption)

डा० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: स्मॉल स्केल इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर एम०पी० ग्रंट रखें... (व्यवधान) ...

MR. CHAIRMAN: Have you finished so that they can ask questions? Clarifications they have sought.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I will take two or three minutes.

MR. CHAIRMAN: Let him finish, then questions can be asked.

डा० मुरली मनोहर जोशी: महिलाओं के बारे में एक क्षेत्र और रहता है। This is an area which is under my Department.

डा० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: सर, मेरा प्रश्न अलग था।

श्री सभापति: अभी वह खतम कर लें, उसके बाद पूछिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी: हमारे इस मंत्रालय के साथ महिला कल्याण और महिलाओं के कार्यक्रमों के बारे में भी एक विभाग है और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे महिला कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रमों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की गयी है। उदाहरण के लिए—महिला समाख्या। इसके लिए 1998 की ह्यूमैन डेवलपमेंट इन साउथ एशिया—जिसकी उस दिन आपके प्रश्न में चर्चा हो रही थी—मैंने इसलिए एक लाइन ही नहीं पढ़ी थी, पूरा बाक्स है। कहते हैं कि Mahila Samakhyas was launched in 1989 in ten districts, in three States as a women's empowerment project. The objective was to empower women through education to bring about a change in women's own perception about themselves and about their society. The strategy of M.S. has been the recognition of the centrality of education, information and knowledge, delivered through various tiers of women's groups at different layers of administrative units, from villages through districts to State levels. Women

are organized at various levels to deliver services, to provide resource support and to supervise. The unique strength of the project is its flexible response to the felt needs of women in different districts. A large part of the M.S. education is effective application of information and knowledge. Redressal camps are organized in which an environment is created to motivate women to acquire literacy. The M.S. workers at village level take part in the selection, appointment and monitoring of teachers, who are trained in the M.S. philosophy. M.S. has established Mahila Shiksha Kendras' which are residential schools, where girls and women can stay away from home for at least three months at a time to study.

इस आधार पर विभाग ने जो कुछ योजनाएं चलाई हैं, उनमें से इस योजना की काफी सराहना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गयी है। सांस्कृतिक क्षेत्र भी इस विभाग के अंतर्गत आता है, मंत्रालय के अंतर्गत आता है और अनेक संस्थाएं इसके द्वारा चलाई जा रही हैं लेकिन मुझे यह भी अनुरोध संस्कृति के बारे में करना है कि जो भी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जो हमारी हैरीटेज है—क्योंकि कल न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के समय यह बात बतायी थी ... हमें अपनी गौरवशाली विरासत का संरक्षण करना है, हैरीटेज को बचाना है, प्रमोट करना है। हमारे साहित्यकारों का और सांस्कृतिककर्मियों का, रंगकर्मियों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसका हमें विकास करना है और श्रीमती वीणा जी ने कल इस मामले में सुझाव दिया था। उसमें से यह बात मैं समझता हूँ कि सदन स्वीकार करेगा कि अगर हम बच्चों के लिए भी एक राष्ट्रीय कमीशन बनाएं, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन बनाएं? यह बहुत अच्छी बात होगी और मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि हम शीघ्र ही एक राष्ट्रीय कमीशन फॉर चिल्ड्रन बनायेंगे।

सांस्कृतिक क्षेत्र में हमें अपने देश की धरोहर की रक्षा करने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। हमारे देश में विशाल पैमाने पर प्राचीन मूर्तियाँ, प्राचीन इमारतें मौजूद हैं। यूरोप में आप जाएं तो वहाँ दो सौ, तीन सौ साल पुरानी कुछ इमारतें या स्मारक हैं, उसी को सजा संवारकर टूरिस्ट केन्द्र और पता नहीं उसका कितना प्रचार करते हैं। हमारे यहाँ तो हजारों साल पुराने बहुत से भव्य स्मारक हैं जिनका हमें लाभ उठाना चाहिए। उनका

रख-रखाव एक तरह है उनका सौन्दर्यकरण दूसरी तरफ है। हमारे यहाँ उत्खनन में काफी चीजें मिल रही हैं जिनसे हम कई प्रकार के म्यूजियम बना सकते हैं, उत्खनन की चीजों को अगर हम प्रिजर्व करें तो अनेक स्थानों पर हम बहुत अच्छे-अच्छे संग्रहालय बना सकते हैं। कुछ संग्रहालय हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ संग्रहालयों को राय दी गई है और कुछ संग्रहालयों ने उसमें काम भी शुरू किया है। उनको हमारे बहुत से प्राचीन अवशेष मिले हैं जो सुन्दर हैं, बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं, कला-कृतियाँ मिली हैं। अगर उनको रैपलिकेट करें, उनको दुबारा बना दें, टेपकोटा में बना दें या मिट्टी में बना दें और लोगों को भी बेचें तो बहुत से लोग उन्हें अपने घरों में सजाने के लिए ले जायेंगे और बहुत से होटल्स में उनकी अनुकृति रखी जा सकती है। इस तरह से म्यूजियम को थोड़ा-बहुत पैसा मिल सकता है। कुछ सरकार उनकी मदद करेगी। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देश में गतिविधियाँ शुरू हों तो हम अपने देश की इस विरासत के लिए भी कुछ पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और इसका प्रचार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं। बहुत सी हमारी संस्थाएं हैं जो लोगो ज बनाती हैं। वह अगर इन हमारी प्राचीन कलाकृतियों के लोगो बनाएं और उसका ठीक ढंग से समर्थन करें तो बहुत अच्छा होगा। पिक्चर्स कार्ड हमारे कुछ संग्रहालय बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूँगा कि वे जब भी किसी संग्रहालय में जाएं तो उन पिक्चर्स कार्ड को देखें। एक योजना इस प्रकार की बनाने का विचार है।..

SHRI MD. SALIM: Make it available in Parliament.

डा० मुरली मनोहर जोशी: जी, वह करेंगे। हम सभी संग्रहालयों के लोगों से इस संबंध में बात कर रहे हैं कि ऐसी एक योजना बनाई जाए। लेकिन सांस्कृतिक विभाग के साथ अन्याय होता है उसको बहुत कम पैसा दिया जाता है। इसलिए हम बहुत से रंगकर्मियों को, साहित्यकारों को जो देना चाहते हैं वह नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी, इस साल जो हमारे साहित्यकार हैं जो कलाकार हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी जो इंडीजेंट कंडीशन में रहते थे उनकी छात्रवृत्ति की संख्या को बढ़ा दिया है, उनका क्वॉटम भी हमने बढ़ा दिया है और उसको डेढ़ हजार के स्थान पर दो हजार रुपया प्रति मास कर दिया है। जो क्वालिफाइंग लिमिट थी उसको भी हमने घटा दिया है जिससे कि हम ज्यादा लोगों को इसे उपलब्ध कर सकें। हम यह कोशिश कर रहे हैं, हमारी यह इच्छा है कि हम इन सभी

कलाकारों को जो अब अशक्त हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, जिन्होंने अपना जीवन कला की साधना में बिताया है, उन्होंने धन तो कमाया नहीं है तो कम से कम उनकी वृद्धावस्था में उनको कुछ हम सहायता दे सकें। इसका प्रयत्न हम कर रहे हैं। ऐसी तमाम योजनाएं और कामों को लेकर यह मंत्रालय आपके सामने है। मेरा फिर आपसे अनुरोध होगा कि आप सब मिलकर के एक आम राय के साथ देश की शिक्षा नीति के बारे में और शिक्षा की बजटिंग के बारे में फैसला करें और सब मिलकर उसको क्रियान्वित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**DR. MANMOHAN SINGH (Assam):** Mr. Chairman, the hon. Minister has drawn the attention of the House to the fact that our universities and institutes of higher learning are not attracting teachers of quality. It is essential that they ought to attract them in order to maintain the standards of excellence and competence which this country needs.

In this context, I was disappointed with what the Minister has said about the controversy that has arisen with regard to the salaries of university teachers. I was particularly sad that the Minister has sought to enter into a controversy and to undermine the authority of such an august body like the University Grants Commission. Even at this late hour, I would urge the Minister to go into the problems of university teachers and not to approach these problems by asking whether the UGC has the authority or not. The UGC is an authority charged by the statute with the work of looking after the standards of education in our country. Therefore, the UGC's would deserve a greater attention than what has been shown by the Government. I, therefore, urge the Government to resolve the problems of the pay-scales of university teachers without loss of any further time.

**PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY (West Bengal):** My questions are brief and small.

One is that I really appreciate the scheme of cost-effective education and the idea of giving some money to our students for teaching. My question is

whether the Ministry has given some thoughts on how these young men will be selected and how their work will be monitored.

Number two is that the hon. Minister has mentioned that a very important committee will be formed under Justice Verma and others. I could not quite follow all the names. But, if I am not wrong, there is no woman on that committee. Gender sensitisation has to be done from the school level.

Thank you.

**DR. M.N. DAS (Orissa):** Mr. Chairman, Sir, with your kind permission, I have only one small submission for favour of consideration of the hon. Minister of HRD. We are talking of university education, higher education and excellence in education.

**MR. CHAIRMAN:** What is your question? What clarification do you want?

**DR. M.N. DAS:** The clarification I want is this. There is some discrimination among States in respect of universities and excellence in university education because some States have more than one Central university while some other States have been denied a Central university for all the fifty years. Sir, a resolution was passed by the Vice-Chancellors' Conference in 1984 that every major State of the Indian Union should have one Central university so that they can think of higher studies and higher research. But, nothing has been done so far, though the State of Delhi has three Central universities.

**डा० (श्रीमती) उर्मिला बिमनभाई पटेल (गुजरात):** सर, बड़ी खुशी की बात है कि आपने ह्यूमन ड्यूटीज के बारे में कमीशन बनाना तय किया है। आपने कमीशन के नाम भी दिये हैं लेकिन इनके टर्म्स आफ रीफ्रेंस, कितने टाइम बाउंड में ये रिपोर्ट देंगे, यह स्पष्ट हो तो अच्छी बात है।

आपने सस्ती शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया। यह भी बड़ी खुशी की बात है और हमारे गरीब देश में इसकी जरूरत है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान होगा



कि टेक्निकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, आर्ट, साईंस, कॉमर्स कालेज शुरू करने में भी यूनिवर्सिटीज द्वारा या टेक्निकल बोर्डों द्वारा बीस-बीस लाख की रकम डिपॉजिट पर ली जाती है, मकान अलग, जमीन अलग, साधन सामग्री अलग तो करोड़, दो करोड़ के बिना कोई संस्था खड़ी ही नहीं हो सकती है।

सर, मैं यह कहना चाहती हूँ कि क्या यह डिपॉजिट कम करने के लिए कोई सूचना डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को दी जायेगी? आपने प्राइमरी टीचिंग के बारे में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एज्युकेशन का जिक्र किया है लेकिन जिन परिस्थितियों में वह चल रही है उसमें न साधन हैं, न टीचिंग एड है और सबसे खराब स्थिति प्राइमरी एज्युकेशन टीचर्स की है। क्या आप इनको अप-ग्रेड करने के लिए किसी कमीशन की रचना करने के बारे में सोच रहे हैं?

आपने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो सजेशन दे दी है... क्या एम० पी० ग्रंट्स में भी यह रकम दी जा सकती है। अगर एम० पी० 50 प्रतिशत शेयर इसमें या जिम्मेनैजियम या इनफ्रस्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए देगा तो क्या स्पोर्ट्स काउंसिल ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूर करेगा और दूसरा 50 प्रतिशत वहां से देगा? होता यह है कि हम तो यहां से ग्रंट दे देते हैं लेकिन आपके यहां से मंजूरी नहीं आती है और रकम लैप्स हो जाती है। जो 100 परसेंट टेक्स एंजेंज्मन्ट विदइज किया गया है, इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया था, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया? इसके बारे में आपको क्या कहना है?

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Sir, I would seek clarifications on just three issues.

(1) Yesterday in my statement I had indicated that there are 32 million young people of this country, who are not able to go to schools. I would like to know if there is any contingent plan the Government has thought of to deal with the enormity of the problem.

(2) Yesterday also I raised this issue viz. whether there is any minimum contingency plan for universalisation of education and a plan for a mass campaign. The hon. Minister has not responded to that issue.

(3) The hon. Minister has dealt with education at the micro-level. Would he like to make a statement on how he

would deal with these problems at the macro-level? If so, how soon would he make a statement?

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मैं उस मुक श्रोता की तरह मंत्री जी का बयान सुन रहा था और अपनी तरफ से मैं यह स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। डा० मुरली मनोहर जोशी जब सांसद की हैसियत से इधर बैठते थे कई बार यह सवाल उठा चुके हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। यह बात अनकही रह जाएगी अगर इसका जवाब माननीय मानव संसाधन मंत्री बनने के बाद जोशी जी नहीं देते हैं। अब इनको क्या दिक्कत पड़ रही है, इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जाता है?

श्री सनातन बिसि (उड़ीसा): मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का एक पब्लिकेशन आया है, उस पब्लिकेशन में प्राइमरी एजुकेशन के बारे में लिखा गया है, इस पब्लिकेशन में क्या चीज़ लिखी गई है?

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, शोषित, दलित पीड़ित, गरीब, ग्रामीण और अल्पसंख्यकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं लेकिन यह देखने को मिल रहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, गिराया जा रहा है, शिक्षकों की रुचि कम हो रही है, उनकी उपस्थिति भी कम है। इसलिए उनका स्थान पब्लिक स्कूल ले रहे हैं। क्या मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे? इन पब्लिक स्कूलों में गरीब लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते तो क्या इन सरकारी स्कूलों का स्तर ऊपर उठाया जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि शिक्षकों की रुचि इसमें बढ़े?

DR. (MS.) P. SELVIE DAS (Nominated): I regret very much that I could not participate in the discussions yesterday. However, I am happy that the Hon. Chairman has given me an opportunity.

MR. CHAIRMAN: Not for speech. Ask only questions.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: Sir, one teacher one school are still in existence. I am sorry I do not have the figures at the moment, but I do want this state of affairs in the rural areas. They should be removed.

Secondly, we have to concentrate a little more on value-based education, particularly at the primary and secondary level. If values are inculcated at the initial stages of education, we will have better citizens in future.

I do agree that our teachers are having problems. Dr. Manmohan Singh has said that we should consider their problems. But, Sir, teachers are comparatively getting a better salary from what they were getting before. My point is when the UGC says better salary for the teachers, it becomes as gospel, but when it talks about standards and merits, they are considered only guidelines. You can take it or leave it. NET examinations are not taken up seriously in all the States of the country. All the Universities, when they recruit teachers, should see to it that the teachers take the stipulated examinations.

Hon. Members have said about the Central Universities. Only certain States have central universities. Every state should have one central university at least.

MR. CHAIRMAN: This is not a debate. You can seek only clarifications.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: I would like to submit only one more point.

MR. CHAIRMAN: You are not making points.

DR. (MS.) P. SELVIE DAS: I would like to make a point on what the Hon. Minister of HRD has said. I would like to express my appreciation for the National Commission that he is going to constitute for children.

MR. CHAIRMAN: That is all right. Shri Nagendra Nath Ojha.

Please seek only clarifications.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालयों की स्थापना की जो स्कीम थी उसके बारे में मंत्री जी को बताना चाहिए कि यह सरकार कब तक टेक अप कर रही है या नहीं कर रही है? लागू करने जा रही है या लागू नहीं करने जा रही है? आईसीएच-आर का जो रीजनल सेंटर बैंगलूर में कायम हुआ और पुणे की बिल्डिंग पर लगभग 30 लाख रुपए खर्च होने की

जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में मंत्री जी क्या कोई जांच करा सकेंगे और आईसीएच-आर के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन देने की बात को वे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। फिर एमपीज-स्कीम के अंतर्गत स्कूलों के भवन या स्पोर्ट्स गैलरी या दूसरे भवन बनाने की बात उन्होंने की। पिछले मिनिस्टर बोम्बे साहब ने सभी सांसदों को पत्र लिखा था। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ और दूसरे सांसदों का भी अनुभव होगा कि एक साल 20 लाख रुपए स्कूल भवन निर्माण के लिए दिए गए और दो-तीन साल हो गए वह पूरा नहीं हो पा रहा है। तो क्या एमपीज-के साथ आप इसे बारे में बैठक करेंगे कि उनके अनुभव क्या हैं। उनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं जिनको दूर किया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है। फिर आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में मॉनीटरिंग के सिस्टम को स्ट्रेथेन करने के बारे में एक्शोर करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन दें।

श्री सभापति: बस हो गया। श्री रहमान खान।  
Please put only questions.

SHRI K. RAHMAN KHAN (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, on the three points that I have raised, answers have not been given by the Minister. Why is there less allocation for elementary education? Though the Finance Minister has said in his Budget speech that 50 per cent increase has been made in the allocation for education there is only 8 per cent increase ... (Interruptions) ...

MR. CHAIRMAN: If every Member has to be given a chance, then, I think we will have another debate.

SHRI K. RAHMAN KHAN: Number two, I had raised about article 30. What is the stand of the Government with regard to this article? I would like to know whether any instruction have been issued to establish educational institutions for the minorities.

MR. CHAIRMAN: You have already mentioned that point.

SHRI K. RAHMAN KHAN: I want clarifications on these two points.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: जवाब देने में भी टाईम लगेगा।

श्री सभापति: ऐसे ही होता है हर एक को। श्रीमती वीणा वर्मा। The question is this, it will be another debate for one or two hours. Then, we cannot have the Short Duration Discussion on subversive activities in the North-East region of the country. It is lying there for the last one month. Everything is important in the House.

श्रीमती वीणा वर्मा (मध्य प्रदेश): मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ...

श्री सभापति: आप बिना धन्यवाद के सवाल कर दीजिए।

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रही हूँ एक एक लाइन के। मेरा प्रस्ताव कि नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रेन बनाना चाहिए बच्चों के वेल्फेयर के लिए आपने स्वीकार किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरी चीज ... (व्यवधान) मंत्री जी यदि आप इधर तबज्जह करें तो बहुत हम आभारी रहेंगे। आपने लेखकों के लिए पेंशन अभी बढ़ायी है। लेकिन कोई योजना केन्द्र सरकार की ऐसी नहीं बनी है खास तौर से साहित्यकर्मियों की, रचनाकारों की मूर्तियां देश भर में लगायी जाएं वृत्त चित्र बनाए जाएं ... (व्यवधान) इसके बारे में क्या कहना है? बाल साहित्य अकादमी का एक प्रश्न मैंने किया था ... (व्यवधान)

श्री सभापति: वे आपके सवाल का भी मेशन करेंगे।

श्रीमती वीणा वर्मा: यह भाषण नहीं है।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। श्री सलीम, व्हाट इज द क्वेश्च? We cannot have another debate. Nothing more ... (Interruptions)... Nothing more. No other point. If I allow you, I have to allow another 50 members. Please give your points to the Minister in writing.

श्री मोहम्मद सलीम: चिल्ड्रेन के लिए आप कमीशन बना रहे हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन यूथ कमीशन या काउंसिल बनाने की बात दस साल से आपके डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। आपने कुछ फैसला लिया है या नहीं, या कब लेने जा रहे हैं? दूसरा, यह कि आपने एक बड़ा खतरनाक इशारा किया अपने भाषण में डिस्ट्रिब्यूशन आफ नालेज के प्राइवेटाइजेशन के लिए ... (व्यवधान) आप चिंता नहीं कीजिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मल्होत्रा जी घबड़ाने वाली बात नहीं है ... (व्यवधान) ... सबसे अधिक डिस्ट्रिब्यूशन की

आज शापस खुल रही है। अखबारों में फारेन डिग्री के लिए डीलरशिप के इश्तिहार हैं। अखबार में यह रोजाना इश्तिहार छापे जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कदम उठाएंगे जो वे विदेशी डिग्रियों के लिए शापस खुलती जा रही है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: हो गया। खत्म हो गया।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, ये लिखकर भेज दें, हम जवाब दे देंगे। ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You all may give them to him in writing. He will give you the reply in writing. (Interruptions). I have another twenty. (Interruptions). I can tell you, the north-east is a very serious thing. We have already lost one month. (Interruptions). It happens with every debate. (Interruptions). Nothing more, please. Yes. Mr. Minister.

श्री नरेश यादव (बिहार): हमारी पार्टी का ... (व्यवधान)

श्री सभापति: इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। ... (व्यवधान) पार्टी का हो गया, अब नहीं है। ... (व्यवधान) Give him in writing.

डा० मुरली मनोहर जोशी: महोदय, बहुत सी बातें तो पहले ही कही जा चुकी हैं और जिनका उत्तर कहीं न कहीं मैं दे चुका हूँ। अब हरेक व्यक्ति उस पर बहुत विस्तार से चाहता है, तो वह तो शायद संभव नहीं है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से बताऊँ कि यह सवाल कहा गया है कि 32 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, तो अब कई योजनाएं बनी हुई हैं। डी०पी०ई०पी० की योजना है। उनमें जो ड्राप आउट्स हैं, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उस बारे में ध्यान दिया जाता है। लेकिन मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि हम दिल्ली से बैठ करके ये सारे काम नहीं कर सकते। ये काम जब तक स्थानीय स्तर पर नहीं शुरू होंगे जब तक इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक कोई सरकार नहीं कर सकती। जो लोग आज उधर बैठे हैं और 50 साल तक इधर बैठे रहे, तब क्यों नहीं हुआ? अब यह तीन-साढ़े तीन महीने में कैसे हो सकता है। ड्राप आउट एक दिन में नहीं होते हैं। वे हुए हैं तो उनके लिए रोकथाम करने की जरूरत है। वे कमियां हैं उसमें से एक विशेष कमी यह कि सैन्ट्रलाइज्ड स्क्रीम के कारण उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। डी-सैन्ट्रलाइज्ड होना चाहिए। उसके लिए प्रयत्न करेंगे तो राज्य सरकारों से बात करनी पड़ती है।

वह उनका अधिकार क्षेत्र है। स्कूल वे चलाते हैं। हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते हैं। सुझाव दे सकते हैं। यह जनतांत्रिक प्रणाली है। इसमें जो अधिकार राज्य के हैं, जो काम वे कर रहे हैं उसमें हम उनको सलाह दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन उन पर दबाव नहीं डाल सकते। उनकी भी अपनी कठिनाइयाँ हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब तक इसमें पंचायतों को शामिल नहीं करेंगे और यह काम वहाँ तक नहीं पहुँचेगा और वे अपने उस क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक हम दिल्ली से नहीं कर सकते, कोई कलकत्ते से, लाखनऊ से, मुंबई से, चेन्नई से नहीं कर सकते। उसकी तरफ बार-बार मैं कहता रहा हूँ और फिर अनुरोध करता हूँ कि हमें उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अभी एक सवाल किया गया ए०आई०सी०टी०ई० के लिए कि उनकी तरफ से बहुत कुछ शर्तें रखी गई हैं, तो हमारे देखने में यह आया है कि बहुत से लोग संस्था तो बना लेते हैं और फिर साल दो साल के बाद रफूचक कर हो जाते हैं, उसकी रोकथाम की जाती है। वहाँ के अध्यापकों को तनख्वाह मिले वहाँ बिल्डिंग ठीक से मिले और इसलिए सोच समझ करके इंजीनियरिंग कालेज बनाने हैं, मेडिकल कालेज बनाने हैं या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बनानी हैं तो उसकी लायब्रेरी होनी चाहिए, उसमें लेबोरेटरी होनी चाहिए, उसके लिए उनके पास आवश्यक पैसा है या नहीं, इस पर विचार करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हर रोज़ जैसे सलीम साहब कह रहे थे कि शाँस खुलती जायेगी। यही रोकथाम की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ....(व्यवधान)

**डा० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल:** लेकिन यह पैसा इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं ....(व्यवधान) और यह डिपॉज़िट्स ....(व्यवधान)

**डा० मुरली मनोहर जोशी:** ये डिपॉज़िट्स रखने पड़ते हैं और रखे जायेंगे। हमारी नीति इन डिपॉज़िट्स को रखने की है ताकि कोई भी संस्था बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके भाग न जाए, रफूचक न हो जाए यह बिल्कुल सही नीति है। इसके बाद यह ह्यूमैन डिवेलपमेंट रिपोर्ट के लिए कहा गया है। यह रिपोर्ट हर साल छपती है और उस रिपोर्ट में कुछ-कुछ विशेष एरियाज़ लिए

जाते हैं। कभी कोई तो कभी कोई, उसमें आप देख सकते हैं कि सारे क्षेत्रों में विशेष करके दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बारे में, अविकसित देशों के बारे में, उनकी शिक्षा की परिस्थिति के बारे में विस्तार से दिया गया है। कैसे उनकी क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, उसकी तरफ जो उनका असेसमेंट है वह बताया गया है। जरूरी नहीं है कि वह जो कह रहे हैं वह सही ही हो और उसे आप मानें। लेकिन जो भी यू०एन०डी०पी० का, यूनेस्को का, वर्ल्ड बैंक का, विभिन्न ऐसी संस्थाओं की तरफ से रिपोर्ट्स आती हैं, वह उनका अपना असेसमेंट होता है। हमारे लिए एक सहयोगी डाकूमेंट होता है, जिसके आधार पर हम समझ सकें कि How are we being judged internationally? अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बारे में क्या विचार रखे जाते हैं। इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। उसमें कई बार अच्छे सुझाव भी होते हैं जिन का हम लाभ उठा सकते हैं।

यह बात बताई गई कि महत्वपूर्ण समिति में कोई महिला नहीं है। हम ऐसा समझते हैं कि इसमें महिला और पुरुष के आधार पर नहीं....। परंतु यह एक काम हमें जल्दी से करना था कांस्टीट्यूशन और उस के निर्देशों के आधार पर। इस समिति को पूरा अधिकार है कि वह इस देश की विद्वान और इस क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का पूरा लाभ उठाए, उन से सलाह ले। वह उन को कोऑर्ड कर सकते हैं, उन को बुला सकते हैं। इस में हमारे सामने कोई कठिनाई नहीं है।

फिर पब्लिक स्कूल्स और सरकारी स्कूलों के स्तर की बात कही गयी। देखिए, यह साधनों की बात है। अगर 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपया उपलब्ध हो तो हम अपने यहाँ स्कूल खोलें। कुछ और अधिक धन उपलब्ध हो तो उन का स्तर बढ़ाए। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं और स्थानीय संस्थाओं के स्कूल्स हैं, उन में सामाजिक सहयोग मिले। अगर बहुत ज्यादा धनी लोग कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं तो जिन के पास कम साधन हैं वह थोड़ा कम करें, लेकिन बच्चों को शिक्षा देना समाज का दायित्व है। अगर बच्चे अनपढ़ रहते हैं तो कोई सरकार के बच्चे

अनपढ़ नहीं रहते हैं? सारे समाज के बच्चे अनपढ़ रहते हैं, उस परिवार के बच्चे अनपढ़ रहते हैं, उस गांव के बच्चे अनपढ़ रहते हैं। सभापति जी, मैं तो जिन-जिन गांवों में जाता हूँ तो उन लोगों से कहता हूँ की यह सरकारी बच्चे नहीं हैं, यह बच्चे तो आप के हैं, यह आप के गांव के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। आप भी प्रयत्न कीजिए, कुछ हम भी प्रत्न करें और मिलजुलकर काम किया जाए। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और यह जो बात है कि हर काम सरकार करे, ठीक नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से कह सकता हूँ कि जब वे इधर थे तो 50 साल तक नहीं कर पाए और जब हम इधर हैं तो साढ़े 3 महीने में कैसे कर पाएंगे? यह व्यावहारिक बात होनी चाहिए। मैंने बहुत पहले कहा था कि आज जो स्थिति है, उस को देखकर जो प्रैक्टिकल चीज है, उस पर बात की जाए। मैं आप को यह बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ कि अगर कोई व्यावहारिक सुझाव शिक्षा को जल्दी-से-जल्दी फैलाने के लिए आएगा, एन०जी०-

ओज० के माध्यम से, सेवाकर्मियों के माध्यम से या वालंटियर्स के माध्यम से आएगा तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं, पूरी सहायता देने के लिए तैयार हैं। मैं पूरी नेकनीयती से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जल्दी-से-जल्दी अपने यहां के बच्चों को शिक्षित कर सके, उस के लिए जो व्यावहारिक सुझाव हैं, मैं उन्हें मानने के लिए तैयार हूँ।

सभापति जी, मैं मनमोहन सिंह जी का बहुत आदर करता हूँ, लेकिन उन से इस बारे में मैं सहमत नहीं हो सकता कि यू०जी०सी० अपने फैसलों को इसी तरह से बदल सकती है। यू०जी०सी० को अधिकार है और उस ने उस अधिकार का उपयोग कर लिया था, उस ने हमें अपनी रिपोर्ट भेज दी थी कि हम ने यह रिपोर्ट स्वीकार करली है, एम्पावरमेंट कमेटी ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और आप दोनों महानुभाव तो स्वयं मंत्रिपरिषद के सदस्य रह चुके हैं और फिर महीने, डेढ़ महीने बाद वह कहते हैं कि नहीं साहब, अब तो हमारी एक नई रिपोर्ट आ रही है। ऐसा होता नहीं है। आप स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं। आप तो कभी इन बातों को नहीं मानते। जरा सी भी बात होती तो स्वीकार नहीं करते। आप वित्त मंत्री के नाते कभी इन चीजों को

स्वीकार नहीं करते रहे हैं जो आज उन्हीं बातों को दूसरी सरकार से स्वीकार करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। हम ने सारी बातों को पूरे तौर पर कंसीडर किया है, सारी बातों को देखा है। हम ने कभी यह नहीं कहा कि हम यू०जी०सी० का अनादर करते हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा था, उस के आधार पर मैंने यह कहा कि यह भी उन्हीं की रिपोर्ट है। मैं तो चाहूंगा कि अध्यापकों को तनखाह उस से भी अधिक मिले। क्या जरूरत है कि आई०ए०एस० के बराबर मिले? क्यों यू०जी०सी० ने सिर्फ आई०ए०एस० के बराबर तनखाह तय की, उस से अधिक क्यों नहीं तय की? सभापति जी, अगर अध्यापक को तनखाह देनी है तो मैं इस राय का बर्नागा, लेकिन आप ने जो वित्तीय साधन इस देश के सामने रखे हैं, उस में क्या दे सकते हैं सवाल उस का है और जो दिया जा सकता है, उस में मैक्सीमम दे सकते हैं। आप मुझे फॉर्मूला बता दें कि उस से ज्यादा ऐसे हो सकता था। हम तो तब भी उस को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया, न कोई बताने के लिए तैयार है और उस के रिपरकशंस क्या हैं यह आप मुझ से बेहतर जानते हैं।

DR. MANMOHAN SINGH: I am sorry to say that this is not a reply.

डा० मुरली मनोहर जोशी: वह सवाल नहीं है। सवाल बहुत साफ है कि जो कुछ मैक्सीमम दिया जा सकता है अध्यापकों के हित में वह देने के लिए तैयार हैं। सभापति जी, मैं तो स्वयं अध्यापक रहा हूँ और अध्यापक संघों का प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ। यह तो इतफाक है कि मैं इधर बैठा हूँ वरना बहुत दिनों तक तो मैं भी मंत्रियों के पास उन की समस्याएं लेकर आता रहा हूँ। मैं पूरी सहानुभूति के साथ कहना चाहता हूँ कि जो बेस्ट हम दे सकते हैं, वह जरूर देंगे, जितना अधिक-से-अधिक आज के हालात में दे सकते हैं, उतना जरूर देंगे। इस बारे में हमारी बहुत सदभावना है। सभापति जी, डेढ़ साल तक यह मामला लटका रहा, क्यों नहीं तय किया गया इस मामले को? मैंने तो 20 दिन के अंदर अनाउंस कर दिया था, लेकिन उस के पहले डेढ़-दो साल मामला लटका रहा, क्यों नहीं अनाउंस किया गया? तब किसी ने दबाव नहीं डाला।

इसलिए इस बात को व्यावहारिकता के साथ सोचना चाहिए और मैं इस बारे में पूरा विश्वास दिलाता हूँ। मैंने अध्यापकों की सर्विस कंडीशंस उन की पे से डिलिंक कर दी है। यह किसी सरकार ने नहीं की। मैंने कहा कि यह अलग बात है, वह अलग बात है। हम उन की ऑटोनोमी की रक्षा कर रहे हैं, उन के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। हम ने कहा कि हम यू०जी०सी० के साथ बैठकर बात करेंगे। हम यू०जी०सी० की भी ऑटोनोमी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर व्यावहारिक आधार पर और कायदे-कानून के हिसाब से कोई बात नहीं की गयी तो उस बात को मानना चाहिए कि उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया है। यू०जी०सी० रस्तोगी कमेटी को टोटली रिजेक्ट कर सकती थी कि हम इसे नहीं मानते, तब तो बात मेरी समझ में आती। एक बार एक्सेप्ट करने के बाद दुबारा फिर उसको कहना कि अब हम एक नई रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। यह तो अनुचित है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के सवाल यहां उठाए गए। बहुत से राज्यों में नहीं हैं, जो ऐतिहासिक कारणों से नहीं हैं। आगे बन सकेंगे तो जरूर बनाएंगे। प्लानिंग कमीशन उसके बारे में यदि छूट देगा, तो बनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि यह बनें, अच्छी तरह से बनें। तो उनको भी जरूर करेंगे।

महोदय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में मिश्र जी ने सवाल किया। वह स्वयं भी बहुत दिनों तक मंत्रि-परिषद् में रहे हैं और वह भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैसे ही छात्र रहे हैं, जैसे कि मैं रहा हूँ, बहुत सम्मानित छात्र रहे हैं। जो कठिनाई इस बारे में उनकी सरकार के सामने थी, वही रह गई है।

श्री जनेश्वर मिश्र: क्या कठिनाई रह गई है, वह बताइए आप।

डा० मुरली मनोहर जोशी: वह आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं आप स्वयं भी मंत्रि-परिषद् में रहे हैं।

श्री मोहम्मद सलीम: यह तो लखनऊ की तरह हो गया कि पहले आप, पहले आप। ....(व्यवधान)....

الشرى محمد سليم : یہ تو لکھنؤ کی طرح ہو گیا کیلئے آپ پہلے آپ...  
سید محمد خلیفہ

श्री जनेश्वर मिश्र: मंत्री जी, आप आज मंत्री हैं। आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है? यह विभाग मेरे हाथ में नहीं था, जब मैं मंत्री था।

डा० मुरली मनोहर जोशी: आप मंत्रि-परिषद् के सदस्य थे। आपने उस वक्त क्या किया था इसके लिए? उस वक्त आप क्यों नहीं कर सके? डेढ़ वर्ष तक आप मंत्री रहे। ....(व्यवधान)....

श्री जनेश्वर मिश्र: अब मंत्री ही मैंम्बर से सवाल पूछने लगे तो यह तो ठीक नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी: हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। हमें जो करना है, हम जरूर करेंगे। समय आने पर करेंगे, लेकिन आपने क्या किया, हम यह जरूर जानना चाहेंगे। तब आपने यह पग क्यों नहीं उठाय था। अगर आपने कुछ किया था तो बता दीजिए क्या किया था? ....(व्यवधान)....

श्री मोहम्मद सलीम: स्पष्ट बताइए क्योंकि इस मामले में हम लोग भी जानना चाहते हैं। यह सवाल पूरे हाऊस का है। ....(व्यवधान)....

الشرى محمد سليم : اسپیشٹ بنائے کیونکہ اس معاملے میں ہم لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ یہ سوال پورے ہاؤس کا ہے۔

डा० मुरली मनोहर जोशी: समय आने पर सदन को भी पता लग जाएगा कि वहां हम क्या कर रहे हैं। इसका हल हम कैसे कर रहे हैं, वह भी बता देंगे।

श्री जितेन्द्र प्रसाद (उत्तर प्रदेश): नहीं, कठिनाइयां क्या हैं, वह तो बता दीजिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी: कठिनाइयां हल के साथ बताएंगे। ... (व्यवधान) ... दोनों चीज साथ-साथ बताएंगे, कठिनाई भी और उसका हल भी। हम हल और कठिनाई, दोनों साथ-साथ बताएंगे। ... (व्यवधान) ...

श्री जितेन्द्र प्रसाद: मंत्री जी, विश्वविद्यालय का सवाल है। आपकी कठिनाइयां क्या हैं? वह तो कम से कम सदन को जानकारी दीजिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी: हमसे जब हल नहीं होंगी, तब हम आपकी शरण में जरूर आएंगे।

श्री जितेन्द्र प्रसाद: कब तक हल कर देंगे?

डा० मुरली मनोहर जोशी: जैसे ही हल हो जाएगी, आपको बता देंगे।

श्री जितेन्द्र प्रसाद: अब तक की जो कठिनाइयां हैं वह तो सदन के सामने रखिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी: देखिए, हम कठिनाइयां और हल, दोनों साथ-साथ आपको बता देंगे। आप निश्चित रहिए। जैसे ही हल होगा, आपको बता देंगे। ... (व्यवधान) ... आज तक कभी पूछा नहीं, इन्होंने कभी जिज्ञा भी नहीं किया। अब आपने 50 साल बाद जिज्ञा किया है, तो देखिए फिर। ... (व्यवधान) ...

श्री जितेन्द्र प्रसाद: 50 साल में हमने क्या-क्या किया, वह भी तो गिनती कर दें। ... (व्यवधान) ...

डा० मुरली मनोहर जोशी: मैं तो गिना चुका हूँ। जितेन्द्र जी, मैंने सबसे पहले जिज्ञा किया कि यहां क्या अच्छी बातें हुई हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री जितेन्द्र प्रसाद: बार-बार आप 50 साल की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि जब आप विपक्ष में थे और आप जब इस बात को उठाते थे तो आपको जवाब देते थे और आप हैं बताना नहीं चाहते। ... (व्यवधान) ...

डा० मुरली मनोहर जोशी: जो आपने नहीं किया, वह भी बताना मेरा फर्ज है। जो आपने किया, उसका मैंने जिज्ञा किया है, लेकिन जो आप नहीं कर सके, वह भी तो मैं बताऊंगा। ... (व्यवधान) ...

श्री जितेन्द्र प्रसाद: जरूर बताइए, लेकिन आपकी हर बात में 50 साल आ जाता है। ... (व्यवधान) ...

सभापति: अच्छा, आगे चलिए।

डा० मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, आपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपने सवाल उठाया।

देखिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड का कई स्थानों पर जहां सेचुरेशन आ गया है वहां जरूर काम हुआ है, लेकिन आपरेशन ब्लैक बोर्ड सुधारा जाए और कंटीन्यूइंग एजुकेशन के रूप में सुधारने की उसकी जो बात थी, उसके संबंध में राज्य सरकारों से बराबर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्दी से जल्दी देश में अशिक्षा को दूर करें और कैसे इन कार्यक्रमों का हम सफल संचालन करें। जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, इसमें हम सलाह दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन व्यावहारिक तौर पर राज्यों के द्वारा ही होता है और विभिन्न राज्यों की स्थिति भिन्न-भिन्न है। कुछ स्थानों पर बड़े कठिन क्षेत्रों में मामला आ गया है और कुछ स्थानों पर जहां सरल क्षेत्र थे वहां पहले बड़ी सफलता के साथ वह दिखाई दिया, काम होता चला गया। कुछ अब ऐसे क्षेत्र आ गए हैं, जहां कठिनाइयां हैं, वहां पहले से ही शिक्षा की दर इतनी कम थी और वहां शिक्षा के प्रति इतना लगाव नहीं था तो वहां लोगों में लगाव पैदा करने में, लोगों को इंधर लाने में, आपरेशन ब्लैक बोर्ड को सफलता के साथ संचालन करने में उसका पिकअप हो रहा है और आप देखेंगे आने वाले समय में कि ऐसे सारे कार्यक्रम अधिक तीव्रता के साथ आगे चलेंगे।

महोदय, स्पोर्ट्स के बारे में सवाल उठाया गया और इस पर बहुत चिंता व्यक्त की गई थी। मैंने आपको बताया कि अगर कोई संसद-सदस्य इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए स्पोर्ट्स में 50 प्रतिशत देगा तो 50 प्रतिशत हम यहां से देंगे। ग्रामीण पुस्तकालय की जो योजना है, हम चाहते हैं लोग इसका उपयोग करें। हमारे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं, उसके बारे में विचार किया जाता है और जो कुछ संभव सहायता है वह दी जाती है, लेकिन प्रश्न वही है कि जितना बजट है, जितनी योजनाएं हैं उसमें जो प्रोजेक्ट आ जाते हैं, उस पर पैसा खर्च हो जाता है और बाकी फिर अगले साल के लिए प्रोजेक्ट चले जाते हैं। इसमें बेहतर बात है कि आप मदद करें।

श्री सी० एम० इब्राहीम (कर्णाटक): सर, मैं चाहूंगा कि आप राज्य सरकारों को लिखें, सहयोग देने के लिए। अगर कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं या फील्ड बनाना चाहते हैं, इस बारे में आपके मंत्रालय से राज्य सरकारों को आदेश जाए, निवेदन जाए कि कुछ जगहों पर, ताल्लुक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसके लिए रिजर्वेशन किया जाए ताकि संसद सदस्यों को उसमें जरूर पैसा लगाने में सुविधा होगी।

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat): Sir, there is one more thing.

When we allot the funds from the MP's Local Area Development Scheme, we don't get the sanctions at the taluka level. The State Government says that it does not fall under the guidelines. Therefore, it is rejected. I had allotted the funds once at the taluka level. So, it must be clear.

**डा० मुरली मनोहर जोशी:** उसके बारे में तो सीटिंग हो रही है।

दूसरी बात मुझे इस बारे में यह भी कहनी है कि स्पोर्ट्स के संबंध में अभी राज्यों के मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें ये सारे सुझाव हमने उनके सामने रखे हैं कि इन आधारों पर आप अपने राज्य की नीतियां ठीक ढंग से चलाएं। यह भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सकें, रूरल स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सकें। हम उसका भी अनुसंधान कर रहे हैं कि वह कैसे बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत खर्चीले स्पोर्ट्स के मैदान हों और उसी के हिसाब से स्टेडियम बनाए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में कम खर्च वाले स्टेडियम बनाने के बारे में हम अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी बैठने की सुविधा हो, मैदान लैवल हो, बच्चे खेल सकें, कम्पीटीशन कर सकें, यह भी हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक उसका कोई पूरा फैसला नहीं होता, तब तक मैं सदन के सामने पूरी योजना रखने में असमर्थ हूँ। लेकिन हमने उनको सब सुझाव दिए हैं कि ये काम करने को तरफ आप आगे आइए। राज्य सरकारों से उनकी राय मिलने पर हम सदन को अवगत करा सकेंगे कि इस दिशा में क्या होगा।

**MR. CHAIRMAN:** Now it is 1.40 P.M. shall we meet at 2.30 P.M.? The House is adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at forty-two minutes past one of the clock.

*The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past two of the clock, The Chairman in the Chair.*

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** Short Duration Discussion.

**SHRI M. VENKAIAH NAIDU** (Karnataka): Madam, I have a small point. We had given notice on the same subject but with regard to the southern part of the country—'ISI activities in the south.

Shri O. Rajagopal and I had given notice. But to our surprise, today we find that it is confined to North-East only and my and Rajagopal's names are included in the list.

**SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU** (Pondicherry): It is only about the North-East. It is not about the southern part of the country. (*Interruptions*)

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** We will find out. (*Interruptions*)

**SHRI NILOTPAL BASU** (West Bengal): Madam, perhaps he is not aware of the manner in which these notices are decided.

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** Just one minute. Let me find out.

**SHRI NILOTPAL BASU:** This was decided on the first day of the Budget Session itself. (*Interruptions*)

**SHRI R. MARGABANDU** (Tamil Nadu): Madam, insurgency is everywhere. This can be permitted. (*Interruptions*)

**SHRI NILOTPAL BASU:** No, no. This is a Short Duration Discussion. This was decided on the basis of consultations between all parties in the beginning of the session itself. Unfortunately, Advaniji had to go to Gujarat at that time and it could not be held and so it has been carried over to this day. I don't know why they are talking about that now. We have never discussed the problem of insurgency in the south. It is very innocuous. (*Interruptions*)

**SHRI VAYALAR RAVI** (Kerala): Madam, according to the Rules of Procedure and the decisions of BAC, it is very clear that only one specific issue can be discussed. Those rules have been approved by the Committee... (*Interruptions*)

**THE DEPUTY CHAIRMAN:** All right. I understand it. (*Interruptions*) Just one second, Mr. Basu. (*Interruptions*) Can I say something?



SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam, actually they want to politicise it. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I understand that Mr. Rajgopal and Mr. Venkaiah Naidu had also given this notice. The hon. Chairman in his own wisdom has allowed discussion only on the North-East. That is why it is listed today. If you want that south or any other part of the country should also be discussed, you can very well talk to the hon. Chairman. But this is what was decided in BAC. It has been listed for today. Let us start the discussion. Let Mr. Malhotra start the discussion. In any case, if you want to speak, you may add that to your speech. There is no restriction on you. (*Interruptions*)

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: I am sorry, Madam, ... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Let me complete. (*Interruptions*) Just listen.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, the whole discussion will be politicised.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Virumbi, what do we do in Parliament, if we don't do politics? We do politics here. Let me complete my sentence first.

So, it is quite natural that every Member would want to speak about what he thinks the problem is, whether something is listed or unlisted. You will speak about your concerns.

SHRI R. MARGABANDU: With due respect, I want to say one small thing. BAC had looked into the matter and allowed discussion only on one aspect of the matter.

SHRI NILOTPAL BASU: The only problem is that they do not know the Rules of Procedure, Madam. (*Interruptions*)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Anyway, Madam, you have just now given the ruling that we should consult the hon. Chairman. But you are also

saying that we can add this while speaking. Madam, the problem of North-East is totally different. The problem of south is different. They want to politicise the issue. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: One minute. According to the rules, if the debate becomes irrelevant at any point of time, the Chair can stop the discussion. But as long as the discussion is within the rules and it is relevant to the subject, Members can speak. Well, we all belong to India. There is no division in the country. So, if some Member speaks, I cannot stop him. Also, I cannot direct a Member before he has spoken. I don't know what Mr. Venkaiah Naidu has in his mind. He might speak about Maharashtra or Gujarat. Let the discussion start and we will direct it properly. Don't worry about it.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Madam, then I should also be given permission to speak afterwards. I will confine myself to North-East (*Interruptions*) They want to politicise it. I feel that I must be given a chance to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: When we reach the river, then we will know how to cross it. Okay, let us reach. You are preempting it. If you did not say, I am sure, he would not have mentioned it. Now, as you have said, I would be apprehensive he might do it. ... (*Interruptions*)... Okay. Now Prof. Vijay Kumar Malhotra.

### SHORT DURATION DISCUSSION

**The Grave Situation Arising out of Increase in the Subversive Activities in the North-Eastern Region of the Country**

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उप-सभापति महोदया, आज पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद पर बहस मणिपुर में कल आतंकवादियों के हाथों मारे गये आठ जवानों की पृष्ठभूमि में हो रही है। सी०आर०पी०एफ० के आठ जवान जिनमें से तीन नॉन कमीशंड आफिसर्स